

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग उत्तर प्रदेश

कार्यपूर्ति दिग्दर्शक आय-व्ययक
(परफार्मेंन्स बजट)
वर्ष 2021-22

ज्ञान बढ़े और काम बढ़े
दिव्यांगजन का मान बढ़े



उत्तर प्रदेश शासन
लखनऊ

प्राक्कथन

विभागीय योजनाओं के वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों में पारस्परिक सामंजस्य स्थापित करने के उद्देश्य से कार्यक्रमों एवं कार्यकलापों का वर्गीकरण करते हुए दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग का वर्ष 2021-22 का कार्यपूर्ति दिग्दर्शक आय-व्ययक (परफार्मेंन्स बजट) प्रस्तुत है।

प्रस्तुत आय-व्ययक दिव्यांगजन के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। समाज के सबसे असहाय, दुर्बल एवं शासकीय सहायता के सर्वाधिक पात्र वर्ग दिव्यांगजन के उत्थान एवं आत्मनिर्भरता से संबंधित योजनाओं को अत्यधिक गतिशील एवं प्रभावी बनाये जाने की आवश्यकता है। आशा है यह आय-व्ययक उक्त उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक सिद्ध होगा।

अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग

विषय सूची

क्र.सं.	विषय	पृ.सं.
1.	भूमिका	01-7
2.	दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग उ0प्र0 की संरचना	8
3.	दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के मुख्य दायित्व	8
4.	दिव्यांगजनों के पुनर्वासन हेतु मार्च 17 से अब तक किये गये महत्वपूर्ण कार्य/निर्णय	9-12
5.	दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रम/योजनाएँ।	13-22
6.	विभाग के कार्यक्रम/योजनाओं हेतु निर्धारित महत्वपूर्ण लक्ष्य	23
7.	वर्ष 2021-22 में प्राविधानित धनराशि का विवरण	24-27
8.	वित्तीय आवश्यकताओं, कार्यक्रमों तथा कार्यकलापों का वर्गीकरण	28-31
9.	उद्देश्यवार वर्गीकरण	32-33
10.	वित्तीय संसाधनों के स्रोत	34
11.	विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के स्वीकृत/भरे पदों का विवरण	35-40
12.	प्रशासनिक व्यवस्था एवं विभागीय संगठन का चार्ट	41

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश

वर्ष 2021-22 का कार्यपूति दिग्दर्शक आय-व्ययक

परफार्मेन्स बजट

भूमिका

भारत की जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में विभिन्न दिव्यांगताओं से ग्रसित कुल व्यक्तियों की संख्या 4157514 है। जो प्रदेश की कुल जनसंख्या का लगभग 2.08 प्रतिशत है। प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में निवासरत दिव्यांग व्यक्तियों का दिव्यांगतावार वर्गीकरण निम्नवत है :-

जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में श्रेणीवार दिव्यांगों की संख्या का विवरण

विवरण		ग्रामीण	शहरी	कुल योग
दिव्यांगजन की कुल जनसंख्या		3166615	990899	4157514
	पुरुष	1803715	560456	2364171
	महिला	1362900	430443	1793343
दृष्टि दिव्यांगता		579182	184806	763988
	पुरुष	307821	100041	407862
	महिला	271361	84765	356126
वाक् दिव्यांगता		202152	64434	266586
	पुरुष	114665	36505	151170
	महिला	87487	27929	115416
श्रवण दिव्यांगता		753704	274131	1027835
	पुरुष	398665	146514	545179
	महिला	355039	127617	482656
अस्थि दिव्यांगता		543203	134510	677713

	पुरुष	355061	86554	441615
	महिला	188142	47956	236098
मानसिक मंदित		140097	41245	181342
	पुरुष	88236	25605	113841
	महिला	51861	15640	67501
मानसिक रूग्ण		57497	19106	76603
	पुरुष	37021	12100	49121
	महिला	20476	7006	27482
अन्य दिव्यांगता		720020	226416	946436
	पुरुष	402738	126226	528964
	महिला	317282	100190	417472
बहु दिव्यांगता		170760	46251	217011
	पुरुष	99508	26911	126419
	महिला	71252	19340	90592

**वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उ0प्र0 के समस्त 71 जनपदों में
(तत्समय) निवासरत महिला एवं पुरुष दिव्यांगजन की जनसंख्या का
जनपदवार विवरण निम्नवत है:-**

क्रमांक	जनपद	दिव्यांगजन की कुल संख्या		
		कुल	पुरुष	महिला
1	आगरा—	120117	67708	52409
2	मैनपुरी—	33563	19796	13767
3	मथुरा—	51179	30154	21025
4	फिरोजाबाद—	50582	29718	20864
5	अलीगढ़—	75974	43398	32576
6	हाथरस	26547	15661	10886
7	एटा—	31245	18238	13007
8	कासगंज	23771	13745	10026
9	झांसी—	38796	22283	16513
10	ललितपुर—	17985	10413	7572
11	जालौन—	31251	18283	12968
12	हमीरपुर—	19055	11116	7939
13	महोबा—	15681	8955	6726
14	बांदा—	27972	16630	11342
15	चित्रकूट—	15403	8833	6570
16	लखनऊ—	122113	68070	54043
17	रायबरेली—	62230	34855	27375
18	हरदोई—	74082	43818	30264
19	उन्नाव—	63730	36261	27469
20	सीतापुर—	89157	51851	37306
21	खीरी—	71959	41458	30501
22	बरेली—	92300	53187	39113
23	बदायूं—	69688	40796	28892
24	पीलीभीत—	37181	22090	15091
25	शाहजहांपुर—	58073	33730	24343
26	मेरठ—	66225	37888	28337

क्रमांक	जनपद	दिव्यांगजन की कुल संख्या		
		कुल	पुरुष	महिला
27	बागपत—	22265	13158	9107
28	गाजियाबाद—	144305	79869	64436
29	गौतमबुद्ध नगर—	35955	20506	15449
30	बुलन्दशहर—	60925	35133	25792
31	सहारनपुर—	61271	35207	26064
32	मुजफ्फरनगर—	65775	38545	27230
33	मुरादाबाद—	82774	47205	35569
34	अमरोहा—	25873	15134	10739
35	रामपुर—	38210	21766	16444
36	बिजनौर—	61638	35492	26146
37	वाराणसी—	96924	54297	42627
38	चन्दौली—	32051	18602	13449
39	गाजीपुर—	79877	44416	35461
40	जौनपुर—	117683	63170	54513
41	मिर्जापुर—	41840	24247	17593
42	सन्त रविदास नगर—	27755	16145	11610
43	सोनभद्र—	31048	17810	13238
44	गोरखपुर	100730	55913	44817
45	महराजगंज—	61861	34309	27552
46	देवरिया—	71103	39211	31892
47	कुशीनगर—	139672	75176	64496
48	बस्ती—	43484	24084	19400
49	सन्त कबीर नगर—	26997	14993	12004
50	सिद्धार्थनगर—	44168	24477	19691
51	आजमगढ़—	76114	42559	33555
52	मऊ—	38910	21725	17185
53	बलिया—	91847	51016	40831
54	प्रयागराज—	178275	99826	78449
55	कौशाम्बी—	42213	23724	18489
56	फतेहपुर—	55333	32222	23111

क्रमांक	जनपद	दिव्यांगजन की कुल संख्या		
		कुल	पुरुष	महिला
57	प्रतापगढ़—	77912	42326	35586
58	कानपुर नगर—	116292	68633	47659
59	कानपुर देहात	35804	21323	14481
60	फरुखाबाद—	31497	19041	12456
61	कन्नौज—	31308	18692	12616
62	औरध्या—	27645	16701	10944
63	इटवा—	31196	18788	12408
64	अयोध्या—	45767	25671	20096
65	अम्बेडकरनगर—	46580	25864	20716
66	सुल्तानपुर—	72931	40376	32555
67	बाराबंकी—	72256	41381	30875
68	गोण्डा—	62452	35729	26723
69	बलरामपुर—	30500	17573	12927
70	श्रावस्ती	20921	11885	9036
71	बहराईच—	71718	41316	30402
	कुल योग	4157514	2364171	1793343

नोट: शामिल, हापुड़, सम्भल, अमेठी, बाद में सृजित होने के कारण पूर्व जनपद में ही दिव्यांगजनों का आगणन सम्मिलित है।

समाज के विशेष रूप से असहाय, निराश्रित सुविधाविहीन दिव्यांग वर्ग के सर्वांगीण विकास को दृष्टिगत रखते हुए उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा 12 अगस्त, 1995 से दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग का गठन किया गया है।

दिव्यांगता की परिभाषा

दिव्यांगजन के समग्र विकास हेतु भारत सरकार द्वारा निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2016 पारित किया गया, जो 19 मार्च, 2017 से सम्पूर्ण भारत में प्रभावी है। इस अधिनियम में कुल 17 अध्याय एवं 102 धाराएँ हैं। इस अधिनियम की धारा 2(द) में संदर्भित निःशक्त व्यक्ति की परिभाषा निम्नानुसार दी गयी है :-

2(द) “संदर्भित निःशक्त व्यक्ति”: से प्रमाणकर्ता प्राधिकारी द्वारा यथा प्रमाणीकृत विनिर्दिष्ट निःशक्तता के 40 प्रतिशत से अन्यून का अभिप्रेत है।

उक्त अधिनियम 2016 की धारा 2(यग) में निःशक्तता (दिव्यांगता) की श्रेणियाँ एवं उनकी परिभाषाएँ निम्नानुसार दी गयी हैं :-

1— शारीरिक निःशक्तता—

- (अ) गतिविषयक निःशक्तता (व्यक्ति की सुनिश्चित गतिविधियों को करने में असमर्थता जो स्वयं और वस्तुओं के चालन से सहबद्ध हैं जिसका परिणाम पेशीकंकाली और तंत्रिका प्रणाली या दोनों में पीड़ा है), जिसके अंतर्गत—
- (क) “कुष्ठ रोगमुक्त व्यक्ति” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो कुष्ठ से रोगमुक्त हो या है किन्तु निम्नलिखित से पीड़ित है —
- I. हाथ या पैरों में सुग्राहीकरण का ह्रास के साथ-साथ आँख और पलक में सुग्राहीकरण का ह्रास और आंशिक घात किन्तु व्यक्ति विरूपता नहीं है;
 - II. व्यक्ति विरूपता और आंशिक घात किन्तु उनके हाथों और पैरों में विनिर्दिष्ट चलन से सामान्य आर्थिक क्रियाकलापों में लगे रहने के लिए सक्षम है;
 - III. अत्यंत शारीरिक विकृति के साथ-साथ वृद्धावस्था जो उन्हें कोई लाभप्रद व्यवसाय करने से निवारित करती है और “कुष्ठ रोगमुक्त व्यक्ति” पद का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा;
- (ख) “प्रमस्तिष्क घात” से कोई अविकासशील अवस्थाओं का समूह अभिप्रेत है जो अविकासशील तंत्रिका दशाओं से शरीर के चलन और पेशियों के समन्वयन को प्रभावित करती है, जो मस्तिष्क के एक या अधिक विनिर्दिष्ट चक्रों में क्षति के कारण उत्पन्न होता है साधारणतः जन्म से पूर्व, जन्म के दौरान या जन्म के तुरंत पश्चात् होती है :
- (ग) “बौनापन” से कोई चिकित्सीय या आनुवांशिकी दशा अभिप्रेत है जिसके परिणामस्वरूप किसी वयस्क व्यक्ति की लंबाई चार फिट दस इंच (147 सेमी) या उससे न्यून रह जाती है;
- (घ) “बहुदुश्पोषण” से वंशानुगत, आनुवांशिक पेशी रोग का समूह अभिप्रेत है जो मानव शरीर को संचल करने वाली पेशियों को कमजोर कर देता है और बहुदुश्पोषण के रोगी व्यक्तियों के जीवन में वह सूचना अशुद्ध होती है या नहीं होती है जो उन्हें उस प्रोटीन को बनाने से निवारित करती है जिसकी उन्हें स्वस्थ पेशियों के लिए आवश्यकता होती है, इसकी विशेषता अनुक्रमिक अस्थिपंजर, पेशी की कमजोरी, पेशी प्रोटीनों में त्रुटि और पेशी कोशिकाओं और टिशुओं की मृत्यु है।
- (ङ.) “अम्ल आक्रमण पीड़ित” से अम्ल या समान संक्षारित पदार्थ के फेंकने द्वारा हिंसक आक्रमण के कारण विरूपित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(आ) दृष्टिगत ह्रास —

- (क) “अंधता” से ऐसी दशा अभिप्रेत है जिसमें सर्वोत्तम सुधार के पश्चात् व्यक्ति में निम्नलिखित स्थितियों में से कोई एक स्थिति विद्यमान होती है, —
- I. दृष्टि का पूर्णतया अभाव;
 - II. सर्वोत्तम सुधार के साथ अच्छी आँख दृष्टि संवेदनशील 3 / 60 या 10 / 200 (स्नेलन) से अन्यून; या
 - III. 10 डिग्री से अन्यून किसी कक्षांतरित कोण पर दृश्य क्षेत्र की परिसीमा;
- (ख) “निम्न दृष्टि” से ऐसी स्थिति अभिप्रेत है जिसमें व्यक्ति की निम्नलिखित में से कोई एक स्थिति होती है, अर्थात्, —
- I. बेहतर आँख में सुधारकारी लेंसों के साथ-साथ 6 / 18 से अनधिक या 20 / 60 से कम 3 / 60 तक या 10 / 200 (स्नेलन) दृश्य संवेदनशीलता; या
 - II. 10 से अधिक 40 डिग्री तक की दृष्टि अंतरित किसी कोण के क्षेत्र में सीमाएँ।
- (इ) “श्रवण शक्ति का ह्रास” —
- (क) “बधिर” से दोनों कानों में संवाद आवृत्तियों से 70 डिसबिल श्रव्य ह्रास वाला व्यक्ति अभिप्रेत है;
- (ख) “ऊँचा सुनने वाला व्यक्ति” से दोनों कानों से संवाद आवृत्ति में 60 डिसबिल से 70 डिसबिल श्रव्य ह्रास व्यक्ति अभिप्रेत है;

- (ई) “अभिवाक् और भाषा निःशक्तता” से लेराइनजेक्टोमी या अफेलिया जैसी स्थितियों से उद्भूत स्थायी निःशक्तता अभिप्रेत है जो कार्बनिक या तंत्रिका संबंधी कारणों के कारण अभिवाक् और भाषा के एक या अधिक संघटकों को प्रभावित करती है।
- 2— “बौद्धिक निःशक्तता” से ऐसी स्थिति, जिसकी विशेषता दोनों बौद्धिक कार्य (तार्किक, शिक्षण, समस्या समाधान) और अनुकूलन व्यवहार में महत्वपूर्ण रूप से कमी होना है, जिसके अन्तर्गत दैनिक सामाजिक और व्यवहार्य की रेंज है, जिसके अन्तर्गत —
- (क) “विनिर्दिष्ट विद्या निःशक्तता” से स्थितियों का एक ऐसा विजातीय समूह अभिप्रेत है जिसमें भाषा को बोलने या लिखने का प्रसंस्करण करने की कमी विद्यमान होती है जो बोलने, पढ़ने, लिखने, वर्तनीय या गणितीय गणनाओं को समझने में कमी के रूप में सामने आती है इसके अन्तर्गत बोधक निःशक्तता डायसेलेक्सिया, डायसग्राफिया, डायसकेलकुलिया, डायसप्रेसिया और विकासात्मक अफेसिया भी है;
- (ख) “स्वलीनता स्फक्द्रम विकार” से एक ऐसी तंत्रिका विकास की स्थिति अभिप्रेत है जो आमतौर पर जीवन के पहले तीन वर्ष में उत्पन्न होती है, जो व्यक्ति की संपर्क करने की, संबंधों को समझने की और दूसरों से संबंधित होने की क्षमता को प्रभावित करती है और आमतौर पर यह अप्रायिक या घिसे-पटे कर्मकांडों या व्यवहार से सहबद्ध होता है।
- 3— **मानसिक व्यवहार—**
- “मानसिक रुग्णता” से चिंतन, मनोदशा, बोध, पूर्वाभिमुखीकरण या स्मरणशक्ति का विकार अभिप्रेत है जो जीवन की साधारण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये समग्र रूप से निर्णय, व्यवहार, वास्तविकता की पहचान करने की क्षमता या योग्यता को प्रभावित करता है किन्तु जिसके अन्तर्गत मानसिक मंदता नहीं है जो किसी व्यक्ति के मस्तिष्क का विकास रुकने या अपूर्ण होने की स्थिति है, विशेषकर जिसकी विशिष्टता बुद्धिमता का सामान्य से कम होना है।
- 4— **निम्नलिखित के कारण निःशक्तता—**
- (क) चिरकारी तंत्रिका दशाएं, जैसे—
- “बहु-स्केलेरोसिस” से प्रवाहक, तंत्रिका प्रणाली रोग अभिप्रेत है जिसमें मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं के अक्ष तंतुओं के चारों ओर रीढ़ की हड्डी की मायलिन सीथ क्षतिग्रस्त हो जाती है जिससे डिमायीलिनेशन होता है और मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिकाओं और रीढ़ की हड्डी की कोशिकाओं की एक-दूसरे के साथ संपर्क करने की क्षमता प्रभावित होती है;
 - “पार्किंसन रोग” से कोई तंत्रिका प्रणाली का प्रगामी रोग अभिप्रेत है, जिसके द्वारा कम्प, पेशी, कठोरता, और धीमा, कठिन चलन, मुख्यतया मध्य आयु और वृद्ध व्यक्तियों से संबंध मस्तिष्क के आधारीय गंडिका के अद्यपतन तथा तंत्रिका संचालन डोपामई के ह्रास से संबद्ध हो।
- (ख) रक्त विकृति—
- “हेमोफीलिया” से एक आनुवंशिकीय रोग अभिप्रेत है जो प्रायः पुरुषों को ही प्रभावित करता है किन्तु इसे महिला द्वारा अपने पुरुष बालकों को संप्रेषित किया जाता है, इसकी विशेषता रक्त के थक्का जमने की साधारण क्षमता का नुकसान होना है जिससे गौण घाव का परिणाम भी घातक रक्तस्राव हो सकता है।
 - “थेलेसीमिया” से वंशानुगत विकृतियों का एक समूह अभिप्रेत है जिसकी विशेषता हिमोग्लोबिन की कमी या अनुपस्थिति है।
 - “सिक्कल कोशिका रोग” से होमोलेटिक विकास अभिप्रेत है जो रक्त की अत्यंत कमी, पीड़ादायक घटनाओं और जो सहबद्ध टिशुओं और अंगों को नुकसान से विभिन्न जटिलताओं में परिलक्षित होता है। “हेमोलेटिक” लाल रक्त कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली के नुकसान को निर्दिष्ट करता है जिसका परिणाम हिमोग्लोबिन का निकलना होता है:
- 5— बहुनिःशक्तता (उपर्युक्त एक या एक से अधिक विनिर्दिष्ट निःशक्तता) जिसके अन्तर्गत बधिरता, अंधता जिससे कोई दशा जिसमें कोई व्यक्ति श्रव्य और दृश्य के सम्मिलित ह्रास के कारण गम्भीर संप्रेषण, विकास और शिक्षण संबंधी गम्भीर दशाएं अभिप्रेत हैं।
- 6— कोई अन्य प्रवर्ग जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएँ।

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश की संरचना

समाज के असहाय, सुविधाविहीन एवं कमजोर वित्तीय स्थिति वाले दिव्यांग व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास एवं उनके लाभ तथा सहायता के लिए बनाई गयी योजनाओं के सुचारु संचालन हेतु प्रदेश सरकार द्वारा 12 अगस्त, 1995 को अलग से दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग का गठन किया गया जिसके अन्तर्गत शासन स्तर पर प्रमुख सचिव, विशेष सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव एवं अनुसचिव के पद तथा 3 अनुभाग सृजित हैं।

विभाग के अधीन दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग निदेशालय कार्यरत है जिसमें निदेशक का एक पद तथा संयुक्त निदेशक के चार पद तथा मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी का एक पद सृजित है।

उपनिदेशक के 20 पद – उपनिदेशक के 2 पद मुख्यालय स्तर तथा 18 पद मण्डल स्तर (प्रदेश के समव्यय हेतु) में सृजित हैं तथा 75 जनपदों में जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी के पद सृजित हैं।

विभाग में सृजित एवं भरे पदों के विवरण हेतु परिशिष्ट 'क' तथा प्रशासनिक व्यवस्था हेतु विभागीय संगठन का चार्ट परिशिष्ट 'ख' अवलोकनीय है।

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के मुख्य दायित्व

विभाग के उद्देश्य एवं कार्य –

1. दिव्यांगजन के सम्बंध में नीति का निर्धारण करना एवं प्रभावशाली क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।
2. योजनाओं के माध्यम से दिव्यांगजन का भौतिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक पुनर्वास कर समाज की मुख्य धारा में शामिल करना।
3. दिव्यांगजन विकास के संबंध में निर्धारित राष्ट्रीय नीतियों, कार्यक्रमों, संस्थाओं, के साथ समन्वय कर प्रदेश में प्रभावशाली तरीके से क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।
4. दिव्यांगजनों के विकास संबंधी कार्य हेतु अन्तर्विभागीय समन्वय के साथ साथ गैर सरकारी संस्थाओं को प्रोत्साहित करना।
5. सेवाओं में दिव्यांगजन का आरक्षण एवं उनके सेवायोजन का पर्यवेक्षण करना आदि।

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा दिव्यांगजन के पुनर्वासन हेतु मार्च, 2017 से अब तक किये गये महत्वपूर्ण कार्य/निर्णय

1. वित्तीय वर्ष 2016-17 में दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग हेतु सरकार द्वारा ₹0 660 करोड़ के बजट प्राविधान में वृद्धि करते हुए वित्तीय वर्ष 2020-21 में ₹0 1095 करोड़ कर दिया गया है जो वित्तीय वर्ष 2016-17 के सापेक्ष 66% की वृद्धि को प्रदर्शित करता है।
2. सरकार गठन पूर्व विभाग का नाम “विकलांग जन विकास विभाग” था। वर्तमान सरकार द्वारा विकलांग शब्द को जो हीनता का द्योतक था को हटाते हुए विभाग का नाम दिनांक 26 अप्रैल, 2017 से “दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग” कर दिया गया है। तदन्तर उन सभी स्थानों पर जहाँ विकलांग शब्द का प्रयोग किया जाता था, को शासनादेश के माध्यम से वर्जित करते हुए तदस्थान दिव्यांग शब्द का प्रयोग किये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं।
3. दिव्यांगजन को शासन द्वारा संचालित योजनाओं/कार्यक्रमों एवं कल्याणकारी गतिविधियों की जानकारी सहज रूप से उपलब्ध हो जाये और अन्य पृच्छाओं के सम्बन्ध में उन्हें परेशान न होना पड़े के दृष्टिगत दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा दिनांक 12.05.2017 को विभागीय कल्याणकारी योजनाओं एवं अन्य सम्बन्धित पृच्छाओं के बारे में जानकारी उपलब्ध कराये जाने हेतु हेल्पलाइन नम्बर 1800-180-1995 का उद्घाटन किया गया। जहाँ प्रतिमाह औसतन 500 पृच्छाओं का निराकरण किया जा रहा है।
4. दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान योजनान्तर्गत पूर्व में ₹0 300/- प्रति माह प्रति व्यक्ति की दर से अनुदान प्रदान किया जाता था, जिसे वर्तमान सरकार द्वारा दिनांक 06 जून, 2017 से बढ़ा कर ₹0 500/- प्रति माह प्रति व्यक्ति कर दिया गया।
वर्तमान सरकार द्वारा दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान योजना में आवेदकों को हार्ड कापी जमा करने की छूट दिये जाने वैसे दिव्यांगजन जो अपना ऑनलाइन आवेदन करने में अक्षम हैं,के लिए सम्बन्धित जनपद के अधिकारी द्वारा आवेदन में सहयोग करने के निर्देश के साथ ही शासन द्वारा सत्यापन प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया जिससे वर्तमान सरकार के कार्यकालके प्रारम्भिक वित्तीय वर्ष 2016-17 की समाप्ति में योजनान्तर्गत पेंशनर्स की संख्या जो 8,75,992 थी वह वर्तमान में 11,02,028 हो गयी है। इस प्रकार वर्तमान सरकार द्वारा अद्यतन् 2,26,036 नवीन दिव्यांगजन को चिन्हित कर लाभान्वित किया गया है।
मा0 प्रधानमंत्री जी के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अन्तर्गत दिव्यांग भरण-पोषण प्राप्त कर रहे लाभार्थियों को प्रति लाभार्थी ₹0 1,000/- की अतिरिक्त सहायता राशि प्रदान की गयी है।
5. कुष्ठावस्था पेंशन योजनान्तर्गत वर्तमान सरकार के कार्यकाल के प्रारम्भिक वित्तीय वर्ष 2016-17 की समाप्ति में योजनान्तर्गत पेंशनर्स की संख्या जो 4,765 थी वह वर्तमान में 11,170 हो गयी है। इस प्रकार वर्तमान सरकार द्वारा अद्यतन् 6,405 नवीन कुष्ठजनित दिव्यांगजन को चिन्हित कर लाभान्वित किया गया है।
6. शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत दंपति में पति के दिव्यांग होने पर ₹0 15000/- दंपति में पत्नी के दिव्यांग होने या दंपति में दोनों के दिव्यांग होने पर ₹0 20000/- प्रोत्साहन पुरस्कार के रूप में देय होता था। वर्तमान सरकार ने दंपति में पति-पत्नी दोनों के दिव्यांग होने पर देय पुरस्कार की धनराशि जो पूर्व में ₹0 20000 /- थी में वृद्धि करते हुए दिनांक 08 जून, 2017 से

शासनादेश द्वारा रू0 35,000 /— कर दिया गया।

वित्तीय वर्ष 2018-19 से योजनान्तर्गत आवेदन से भुगतान तक की समस्त प्रक्रिया ऑनलाईन संचालित है। योजनान्तर्गत वर्तमान सरकार के कार्यकाल के प्रारम्भ वित्तीय वर्ष 2017-18 से वित्तीय वर्ष 2020-21 तक अद्यतन् कुल 3,327 दिव्यांगजन दम्पति को शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार से लाभान्वित किया गया है।

7. पूर्व में दिव्यांगजन को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा राज्य की सीमा के अन्तर्गत ही अनुमन्य की गयी थी। जिससे दिव्यांगजन को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता था। बहुधा दिव्यांगजन को राज्य सीमा के अन्त में किराया न होने के कारण बसों से उतार दिया जाता था/धनराशि वसूल की जाती थी/अन्य प्रकार के विवाद होते थे। इस तथ्य को महसूस करते हुए वर्तमान सरकार ने दिव्यांगजन को निःशुल्क बस यात्रा सुविधा उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम की बसों में उनके अन्तिम गन्तव्य स्थल तक (चाहे व राज्य की सीमा से बाहर ही क्यों न हो) किये जाने का शासनादेश दिनांक 24 जुलाई, 2017 को जारी कर दिया गया।

योजनान्तर्गत वर्तमान सरकार के कार्यकाल के प्रारम्भ वित्तीय वर्ष 2017-18 से वित्तीय वर्ष 2020-21 तक उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को दिव्यांगजन की निःशुल्क बस यात्राओं के सापेक्ष अद्यतन् कुलरू0 135.26 करोड़ का भुगतान किया गया है।

8. पूर्व में दिव्यांगता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों/संस्थाओं/सेवायोजकों आदि को विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर 03 श्रेणियों में मात्र रू0 5000 /— की दर से पुरस्कार प्रदान किये जाते थे। वर्तमान सरकार ने यह महसूस किया कि मात्र 03 श्रेणियों में पुरस्कार देने से दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य करने वाले विविध प्रकार के संगठन/सेवायोजक/व्यक्तियों के साथ न्याय नहीं हो पा रहा है। जिससे दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्यों को प्रोत्साहन नहीं मिल पा रहा है। इसी प्रकार पुरस्कार की धनराशि मात्र रू0 5000 /— भी नगण्य है। इसलिए वर्तमान सरकार द्वारा दिनांक 26 जून, 2017 को प्रति वर्ष प्रदान किये जाने वाले राज्य स्तरीय पुरस्कार की विविधता बढ़ाते हुए पूर्व से स्थापित 03 श्रेणियों के स्थान पर 12 श्रेणियों (30 उपश्रेणी) का सृजन किया गया है और पुरस्कार में देय धनराशि रू0 5000 /— को बढ़ा कर रू0 25000 /— कर दिया।

योजनान्तर्गत वर्तमान सरकार के कार्यकाल में कुल 84 व्यक्तियों/संस्थाओं को दिव्यांगजन के सशक्तीकरण में प्रभावी योगदान हेतु पुरस्कृत किया गया है।

9. दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा 18 मण्डल मुख्यालयों पर बचपन डे-केयर सेन्टर स्थापित किये गये हैं, जिनमें मानसिक मुंदित/श्रवणबाधित/दृष्टिबाधित जैसे विभिन्न श्रेणी के दिव्यांगता वाले 03-07 वर्ष आयुवर्ग के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाती है। इन केन्द्रों पर फरवरी, 2018 से बच्चों को मिड डे मील दिया जाना प्रारम्भ किया गया है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में महत्वाकांक्षी जनपद योजना से संबंधित सात जनपदों के लिए बचपन डे-केयर सेन्टर्स की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है।

10. वर्ष 2017-18 में श्रवण बाधित दिव्यांगता वाले बच्चों का कॉक्लियर इम्प्लांट कराये जाने हेतु योजना का आरम्भ किया गया। कॉक्लियर इम्प्लांट योजनान्तर्गत अनुदान की धनराशि प्रति लाभार्थी प्रति इम्प्लांट रू0 6.00 लाख निर्धारित की गयी है।

वर्तमान सरकार के कार्यकाल के प्रारम्भ वित्तीय वर्ष 2017-18 से वित्तीय वर्ष 2019-20 तक कुल 88 श्रवण बाधित बच्चों की कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी की गयी एवं वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल 84 श्रवण बाधित बच्चों का कॉक्लियर इम्प्लांट हेतु चयन किया गया है।

11. शल्य चिकित्सा नियमावली के अर्न्तगत विभाग द्वारा 21 प्रकार की शल्य क्रियाओं के लिए प्रति लाभार्थी प्रति वर्ष रुपये 8000 /—(आठ हजार मात्र) की दर से अनुदान देय होता था किन्तु दिनांक 06 जुलाई, 2017 के शासनादेश द्वारा सरकार ने इस दर में परिवर्तन करते हुए रुपये 10,000 /—(दस हजार मात्र) प्रति लाभार्थी प्रति वर्ष कर दिया गया है।
वर्तमान सरकार के कार्यकाल के प्रारम्भ वित्तीय वर्ष 2017-18 से वित्तीय वर्ष 2019-20 तक कुल 1326 दिव्यांगजन की करेक्टिव सर्जरी की गयी एवं वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल 267 दिव्यांगजन का करेक्टिव सर्जरी हेतु चयन किया गया है।
12. कृत्रिम अंग / सहायक उपकरण योजना के अर्न्तगत पात्र दिव्यांगजन को अधिकतम अनुदान रू0 8,000 /— तक के कृत्रिम अंग / सहायक उपकरण विभाग द्वारा प्रदान किये जाते थे, वर्तमान में शासनादेश दिनांक 28 फरवरी, 2019 के द्वारा उक्त अधिकतम अनुदान सीमा को बढ़ाते हुए रू0 10,000 /— कर दिया गया है।
दिव्यांगजन को विभागीय योजना के तहत पूर्व में केवल सहायक उपकरण वितरित किये जाते थे किन्तु शासन द्वारा दिनांक 05 फरवरी, 2018 के शासनादेश द्वारा दिव्यांगजन को सहायक उपकरणों के साथ-साथ कृत्रिम अंग भी देने का निर्णय लिया गया है।
वर्तमान सरकार के कार्यकाल के प्रारम्भ वित्तीय वर्ष 2017-18 से वित्तीय वर्ष 2020-21 तक योजनान्तर्गत अद्यतन प्रदेश के दिव्यांगजन को कुल 1,76,424 विभिन्न प्रकार के कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरणों से लाभान्वित किया गया है।
13. 03 दिसम्बर, 2018 को भारत सरकार द्वारा दिव्यांगजन के शैक्षिक पुनर्वासन हेतु विभाग द्वारा संचालित राजकीय ब्रेल प्रेस को उत्कृष्ट ब्रेल प्रेस के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
प्रदेश के दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को ब्रेल लिपि की पुस्तकें सुगमता पूर्वक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2020-21 में नार्वे से आयातित नवीन Braillo B650 SW2 मशीन राजकीय ब्रेल प्रेस में स्थापित की गयी है।
14. 03 दिसम्बर, 2018 को भारत सरकार द्वारा दिव्यांगजन के सशक्तीकरण हेतु पुनर्वास योजनाओं को प्रभावी ढंग से संचालन करने हेतु जनपद लखनऊ को उत्कृष्ट जनपद के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
15. 03 दिसम्बर, 2019 को भारत सरकार द्वारा दिव्यांगजनों हेतु सुगम्यता विशेषताओं से युक्त सरकारी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ वेबसाइट होने के लिये दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की वेबसाइट www.uphwd.gov.in को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
16. 03 दिसम्बर, 2019 को भारत सरकार द्वारा दिव्यांगजन के सशक्तीकरण हेतु पुनर्वास योजनाओं को प्रभावी ढंग से संचालन करने हेतु जनपद वाराणसी को उत्कृष्ट जनपद के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
17. 03 दिसम्बर, 2019 को भारत सरकार द्वारा सुगम भारत अभियान के कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये प्रदेश को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
18. दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा दिनांक 22 जनवरी, 2020 को जारी शासनादेश “निःशुल्क मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल उपलब्ध कराये जाने की नियमावली, 2020” के द्वारा प्रदेश के 80 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले ऐसे दिव्यांगजन जो मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल संचालित करने में सक्षम होंगे तथा जिनके परिवार की समस्त श्रोतों से वार्षिक आय रू0 1,80,000 /— से कम हो, के लिए प्रति दिव्यांगजन अधिकतम रू0 25000 /— अनुदान का प्राविधान किया गया है।

19. विभाग द्वारा संचालित विशेष विद्यालयों, कौशल विकास केन्द्रों, बचपन डे-केयर सेन्टर्स आदि संस्थाओं में यदि कोई व्यक्ति/संस्थासहयोग प्रदान करना चाहता हो तो उसकी कोई व्यवस्था नहीं थी। इस संबंध में एक नवीन पहल करते हुए निर्धारित नियमों/शर्तों के अधीनसी0एस0आ0 के अन्तर्गत सहयोग प्रदान कराये जाने की व्यवस्था करायी गयी जिसके लिए जनपदीय/राज्य स्तरीय समितियों का गठन भी किया गया है।
20. दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार एवं जागरूकता के उद्देश्य से सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश के माध्यम से रेडियो एफ0एम0 चैनल पर जिंगल के माध्यम से तथा साथ ही दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में नुक्कड़ नाटक एवं जनपद मुख्यालयों पर होर्डिंग के माध्यम से जागरूकता सृजित किये जाने का कार्य किया जा रहा है।
21. उत्तर प्रदेश देश का प्रथम राज्य है जहाँ पर दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत अधिनियम को परिवर्तित करते हुए इसके अधिकांश प्राविधानों को लागू कर दिया गया है व अधिनियम में विहित व्यवस्था के अन्तर्गत राज्य निधि का गठन करते हुए रु0 15.00 करोड़ की बजट व्यवस्था उपलब्ध करा दी गई है।
22. शारीरिक रूप से अक्षम बालकों के लिए संचालित राजकीय प्रयास विद्यालय, लखनऊ को अपने उच्च स्तरीय शिक्षण एवं प्रशिक्षण व्यवस्था सहित कैम्पस की उच्च स्तर की प्रबन्ध प्रणाली के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का मानक आई0एस0ओ0 9001 / 2015 प्रमाणीकरण प्रदान किया गया है।
23. दिव्यांगजन की सुविधा एवं उन्हें उच्च कोटि के गुणवत्तापरक कृत्रिम अंग उपलब्ध कराने हेतु कृत्रिम अंग एवं पुनर्वास केन्द्र की स्थापना की गयी है।
24. दिव्यांगजन को खेलने की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जनपद लखनऊ में एक अन्तर्राष्ट्रीय स्टेडियम का निर्माण कराया गया है।
25. विभागीय निर्माण कार्यों की बेहतर निगरानी एवं निर्माण कार्यों में पारदर्शिता एवं गुणवत्तापरक समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराये जाने के उद्देश्य से पोर्टल (<http://host.mytraineeerecord.com>) विकसित किया गया है।
26. समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय कुल 12 जनपद – औरैया, कन्नौज, प्रयागराज, गाजियाबाद, मिर्जापुर, महाराजगंज, बुलन्दशहर, एटा, प्रतापगढ़, लखनऊ, आजमगढ़, बलिया में निर्मित किये जाने की शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी थी। इन विद्यालयों में से जनपद – औरैया, कन्नौज, प्रयागराज, लखनऊ तथा महाराजगंज के विद्यालय विभाग को हस्तान्तरित हो चुके हैं।
27. वित्तीय वर्ष 2019-20 में जनपद बरेली में स्पर्श राजकीय दृष्टिबाधित विद्यालय, जनपद- बरेली, मेरठ, गोरखपुर, बांदा में ममता राजकीय मानसिक मंदित विद्यालय तथा जनपद- बरेली, मेरठ, गोरखपुर, बांदा, लखनऊ, चित्रकूट में मानसिक मंदित आश्रयगृह सहप्रशिक्षण केन्द्र के स्थापना की शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है, यह विद्यालय/केन्द्र निर्माणाधीन हैं।

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रम/योजनाएँ

1— संकेत (राजकीय मूक बधिर विद्यालय) लखनऊ, आगरा, बरेली, फर्रुखाबाद, गोरखपुर :

लखनऊ, बरेली, फर्रुखाबाद, आगरा, गोरखपुर में एक-एक विद्यालय संचालित हैं। इन विद्यालयों में श्रवण यंत्र की सहायता से छात्रों को शिक्षा दिये जाने के साथ-साथ व्यवसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। लखनऊ, बरेली तथा फर्रुखाबाद में जूनियर हाईस्कूल स्तर तक की शिक्षा प्रदान की जाती है। बरेली में आवासीय छात्र संख्या 120 तथा अनावासीय छात्र संख्या 220 (कुल 340) है। फर्रुखाबाद की आवासीय छात्र क्षमता -60 तथा अनावासीय छात्र क्षमता-40 है (कुल 100) तथा लखनऊ की आवासीय क्षमता 100 छात्र की है। आगरा एवं गोरखपुर में हाईस्कूल स्तर तक की शिक्षा देने की व्यवस्था है। आगरा की आवासीय छात्र की क्षमता 50 तथा अनावासीय छात्र क्षमता 100 (कुल 150) तथा गोरखपुर में आवासीय सुविधा उपलब्ध नहीं है अनावासीय छात्र क्षमता 100 है। इन विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को जिनके अभिभावकों की मासिक आय रु० 1000/- तक होती है, उन छात्र/छात्राओं को आवासीय सुविधा के साथ-साथ रु० 2000/- प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति/छात्रवेतन दिया जाता है। इन विद्यालयों में निर्धारित लक्ष्य निम्नवत है—

विद्यालयों की संख्या	आवासीय / अनावसीय	स्वीकृत क्षमता
05	आवासीय	330
	अनावसीय	460
	योग	790

2— स्पर्श(बालक /बालिकाओं के लिये राजकीय दृष्टिबाधित विद्यालय)लखनऊ, गोरखपुर, बाँदा, सहारनपुर, मेरठ

लखनऊ/गोरखपुर में बालकों/बालिकाओं के लिए एक-एक, बाँदा एवं मेरठ में बालकों हेतु एक-एक इण्टर कालेज संचालित हैं। इन विद्यालयों की आवासीय छात्र क्षमता 200-200 है तथा अन्य 04 विद्यालयों की आवासीय क्षमता 100-100 है अनावासीय छात्र क्षमता 25-25 है। जनपद सहारनपुर में बालिकाओं हेतु हाईस्कूल स्तर तक का विद्यालय संचालित है, जिसकी आवासीय छात्र क्षमता 75 तथा अनावासीय छात्र क्षमता 25 है। इन विद्यालयों में ब्रेल पद्धति के माध्यम से निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। इन विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को जिनके अभिभावकों की मासिक आय रु० 1000/-होती है, उन छात्र/छात्राओं को आवासीय सुविधा के साथ-साथ प्रति छात्र/छात्रा रु० 2000/- प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति/छात्रवेतन दिया जाता है, तथा अनावसीय छात्र/छात्राओं को घर से विद्यालय तक आने जाने हेतु निःशुल्क बस सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। इन विद्यालयों में स्वीकृत क्षमता के सापेक्ष निर्धारित लक्ष्य निम्नवत् है :

विद्यालयों की संख्या	आवासीय / अनावसीय	स्वीकृत क्षमता
07	आवासीय	875
	अनावसीय	175
	योग	1050

3. ममता (मानसिक रूप से चुनौतीग्रस्त बालकों/बालिकाओं का राजकीय विद्यालय) लखनऊ तथा प्रयागराज।

प्रदेश में मानसिक रूप से चुनौतीग्रस्त बालकों/बालिकाओं के लिए एक-एक विद्यालय क्रमशः लखनऊ तथा प्रयागराज में संचालित है। इन विद्यालयों में बालकों एवं बालिकाओं को मनोवैज्ञानिक पद्धति से निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। प्रत्येक विद्यालय की आवासीय छात्र क्षमता 50-50 है। इन विद्यालयों में संवासियों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने की दृष्टि से व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। जिन संवासियों के अभिभावकों की मासिक आय रु० 1000/- प्रतिमाह तक है उनके भरण पोषण पर शासन द्वारा 2000/- रु० प्रति माह प्रति संवासी की दर से व्यय किया जाता है। विद्यालयों में निर्धारित लक्ष्य निम्नवत है :

विद्यालयों की संख्या	आवासीय / अनावसीय	स्वीकृत क्षमता
02	आवासीय	100
	अनावसीय	0
	योग	100

4. प्रयास (शारीरिक रूप से अक्षम बालकों के लिये राजकीय विद्यालय) लखनऊ, प्रतापगढ़—

शारीरिक रूप से अक्षम बालकों के लिये प्रतापगढ़ तथा लखनऊ में एक-एक विद्यालय संचालित है। प्रत्येक विद्यालय की छात्र क्षमता 50-50 बालकों की है। इन विद्यालयों में हाईस्कूल स्तर तक की निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। इन विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों जिनके अभिभावकों की मासिक आय रु० 1000/- तक होती है उनको आवासीय सुविधा के साथ भरण पोषण हेतु रु० 2000/- प्रतिमाह प्रति छात्र दिया जाता है। इन विद्यालयों में निर्धारित लक्ष्य निम्नवत है :

विद्यालयों की संख्या	आवासीय / अनावसीय	स्वीकृत क्षमता
02	आवासीय	100
	अनावसीय	0
	योग	100

5. उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले दृष्टिबाधित छात्र/छात्राओं हेतु छात्रावासों का संचालन लखनऊ गोरखपुर, प्रयागराज एवं मेरठ।

दृष्टिबाधित छात्र/छात्राओं द्वारा अपने-अपने क्षेत्र से इण्टरमीडिएट की शिक्षा ग्रहण करने के उपरान्त उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये अनेक कठिनाईयों का सामाना करना पड़ता है, के दृष्टिकोण से उन्हें उच्च शिक्षा ग्रहण करने के समय आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु लखनऊ/गोरखपुर में छात्र/छात्राओं हेतु एक-एक, प्रयागराज/मेरठ में छात्रों हेतु एक-एक कुल छः छात्रावासों की स्थापना की गयी है। प्रत्येक छात्रावास की स्वीकृत क्षमता 200-200 है। उक्त छात्रावासों के संचालन हेतु नियमावली का प्रख्यापन शासन द्वारा किया जा चुका है

विभिन्न श्रेणी के दिव्यांगों के लिए उक्त 16 विद्यालयों एवं उनके छात्रावासों के संचालन के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल रु0 3056.38 लाख के प्राविधान के सापेक्ष अद्यतन तक कुल रु0 1581.61 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में रु 3197.42 लाख का प्राविधान है।

6. कौशल विकास केन्द्र (दृष्टिबाधितों के लिये राजकीय कर्मशाला) लखनऊ गोरखपुर तथा बॉदा-

दृष्टिबाधित बेरोजगार व्यक्तियों को कार्य उपलब्ध कराने एवं विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान करने की दृष्टि से लखनऊ, गोरखपुर तथा बॉदा में एक-एक कर्मशाला संचालित है। लखनऊ तथा गोरखपुर कर्मशाला में स्वीकृत आवासीय संवासी क्षमता 50-50 तथा अनावसीय संवासी क्षमता 50-50 है। बॉदा में आवासीय संवासी स्वीकृत क्षमता 50 तथा अनावसीय क्षमता 25 है। इन कर्मशालाओं में दृष्टिबाधित व्यक्तियों को वर्क आर्डर के आधार पर कुर्सी बुनाई आदि का कार्य अन्य कार्यालयों में उपलब्ध कराया जाता है जिसके लिये उन्हें पारिश्रमिक दिया जाता है। इसके साथ ही डिजाइनर मोमबत्तियों, कम्प्यूटर आदि का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। इन कर्मशालाओं में स्वीकृत क्षमता निम्नवत् है:-

कर्मशालाओं की संख्या	आवासीय / अनावसीय	स्वीकृत क्षमता
03	आवासीय	150
	अनावसीय	125
	योग	275

7. कौशल विकास केन्द्र(शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिये राजकीय प्रशिक्षण केन्द्र) वाराणसी, प्रयागराज, उन्नाव -

शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों/दिव्यांगों को प्रशिक्षण दिये जाने के उद्देश्य से संचालित कर्मशाला मिर्जापुर से स्थानान्तरित होकर जनपद वाराणसी में संचालित है। इस कर्मशाला में आवासीय संवासियों की क्षमता 60 तथा अनावसीय संवासियों की क्षमता 40 (कुल 100) है। इन संवासियों को आवासीय सुविधा के साथ-साथ रु0 2000/- प्रतिमाह प्रति संवासी की दर से धनराशि भरण पोषण हेतु प्रदान की जाती है। इस कर्मशाला में दिव्यांग व्यक्तियों को कुर्सी बुनाई, सिलाई एवं मोमबत्ती आदि बनाने का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रयागराज एवं उन्नाव में 50 आवासीय एवं 50 अनावसीय एवं वाराणसी में 60 आवासीय एवं 40 अनावसीय संवासियों की क्षमता है।

8. कौशल विकास केन्द्र (मूक-बधिरों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र एवं आश्रित कर्मशाला) आगरा :-

जनपद आगरा में मूक बधिरों के लिये एक व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र एवं आश्रित कर्मशाला स्थापित है। जिसमें आवासीय संवासियों की क्षमता 25 तथा अनावासीय संवासियों की स्वीकृत क्षमता 25 (कुल 50) है। इन संवासियों को रू0 2000 /- प्रतिमाह प्रति संवासी की दर से धनराशि भरण पोषण हेतु प्रदान की जाती है। इस केन्द्र में कुर्सी बुनाई, सिलाई एवं मोमबत्ती का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस कर्मशाला में संवासियों की स्वीकृत क्षमता निम्नवत् है:-

कर्मशालाओं की संख्या	आवासीय / अनावसीय	स्वीकृत क्षमता
01	आवासीय	25
	अनावसीय	25
	योग	50

दिव्यांग कर्मशालाओं के संचालन पर वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्राविधानित धनराशि कुल रू0 211.03 लाख के सापेक्ष अद्यतन तक कुल रू0 89.12 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में रू0 219.91 लाख का प्राविधान है।

9- बहुउद्देशीय कौशल विकास केन्द्र मुरादाबाद एवं मेरठ :-

सभी श्रेणी के दिव्यांगजन की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये मुरादाबाद एवं मेरठ जनपद में एक-एक बहुउद्देशीय कौशल विकास केन्द्र की स्थापना की गयी है। इन केन्द्रों की स्वीकृत क्षमता 50-50 (कुल 100 है) जिसमें सभी श्रेणी के दिव्यांगजन को बाजार की माँग के अनुरूप अल्प अवधि के विभिन्न व्यावसायिक ट्रेडों में प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें स्वरोजगार प्रारम्भ करने योग्य बनाया जाता है। उक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु कुल रू0 23.01 लाख के प्राविधान के सापेक्ष अद्यतन कुल रू0 21.34 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में रू 30.96 लाख का प्राविधान है।

इन बहुउद्देशीय कौशल विकास केन्द्रों की स्वीकृत क्षमता निम्नानुसार है:-

कर्मशालाओं की संख्या	आवासीय / अनावसीय	स्वीकृत क्षमता
02	आवासीय	0
	अनावसीय	100
	योग	100

10. निराश्रित मानसिक मंदित आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्र बरेली, गोरखपुर एवं मेरठ :-

प्रदेश के निराश्रित मानसिक मंदित आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्र बरेली में महिलाओं हेतु तथा गोरखपुर एवं मेरठ में पुरुषों हेतु एक-एक आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की गयी है। इन केन्द्रों की आवासीय क्षमता 50-50 है। इन केन्द्रों में मानसिक मंदित दिव्यांगजन को प्रवेश देकर उनको आश्रय प्रदान किये जाने के साथ साथ व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें स्वावलम्बी बनाकर समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य किया

जा रहा है। जिनके संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु कुल ₹0 146.80 लाख का प्राविधान के सापेक्ष अद्यतन तक कुल ₹0 119.84 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में ₹0 151.98 लाख का प्राविधान है।

कर्मशालाओं की संख्या	आवासीय / अनावसीय	स्वीकृत क्षमता
03	आवासीय	150
	अनावसीय	0
	योग	150

11. अमरावती पुरुषोत्तम बहुउद्देशीय दिव्यांग सशक्तीकरण संस्थान वाराणसी का संचालन:—

इस संस्थान में सभी श्रेणी के दिव्यांगजन हेतु जनपद वाराणसी में अमरावती पुरुषोत्तम बहुउद्देशीय दिव्यांग सशक्तीकरण संस्थान संचालित है इस संस्थान में मानसिक मंदित दिव्यांगजन को आवासीय सुविधा के साथ-साथ विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक ट्रेडों में प्रशिक्षण प्रदान कर स्वावलम्बी बनाये जाने का कार्य प्रदान किया जाता है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल ₹0 49.11 लाख के प्राविधान के सापेक्ष अद्यतन तक कुल ₹0 31.05 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में ₹0 49.11 लाख का प्राविधान है।

12. मनोविकास केन्द्र, गोरखपुर :-

गोरखपुर मण्डल में जापानी इन्सेफलाइटिस से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वासन हेतु जनपद गोरखपुर के बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज के आरोग्य भवन में मनोविकास केन्द्र संचालित है। इस मनोविकास केन्द्र में जापानी इन्सेफलाइटिस से ग्रसित दिव्यांगजन को आई0क्यू0 असेसमेन्ट, आक्यूपेशनलथिरेपी यूनिट, फिजियोथैरेपी यूनिट, आडियोलाजी यूनिट, व्यावसायिक प्रशिक्षण यूनिट, काउन्सिलिंग एवं सोशल एजुकेशनल यूनिट के माध्यम से पुनर्वास सेवायें एवं सुविधायें प्रदान की जा रही हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु कुल ₹0 30.31 लाख के प्राविधान के सापेक्ष अद्यतन तक कुल ₹0 20.50 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में ₹0 33.31 लाख का प्राविधान है।

13. बचपन डे केयर सेन्टर्स की स्थापना एवं संचालन:—

सर्व शिक्षा अभियान से प्राप्त करायी गयी धनराशि से जनपद लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी (प्रत्येक 60 बच्चों की क्षमता) आगरा, सहारनपुर, झाँसी, बरेली, गौतमबुद्धनगर (प्रत्येक 30 बच्चों हेतु) में बचपन डे केयर सेन्टर संचालित किये गये थे। वर्ष 2008-09 तक इन केन्द्रों का संचालन सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत किया गया था, तदोपरान्त वर्ष 2009-10 से दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा उक्त योजना को विभागीय बजट से संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया। बचपन डे केयर सेन्टर में मानदेय पर समन्वयक तथा विशेष अध्यापकों की व्यवस्था है तथा इसके अतिरिक्त प्रत्येक सेन्टर पर 1-1 फिजियोथिरेपिस्ट, साइकोकाउन्सलर, स्पीच ट्रेनर/विशेषज्ञों की सेवायें प्रति विजिट के आधार पर तथा अटेन्डेन्ट, आया, सफाई कर्मी, चौकीदार की सेवायें मानदेय के आधार पर ली जा रही हैं। इन सेन्टर्स में 03 से 07 वर्ष तक के दिव्यांग बच्चों को शिक्षण/प्रशिक्षण के साथ-साथ अवागमन की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराते हुये सामान्य विद्यालयों में शिक्षण प्राप्त करने हेतु प्रशिक्षित

किया जाता है। स्थापित बचपन डे केयर सेन्टर्स के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल ₹0 867.27 लाख का प्राविधान के सापेक्ष अद्यतन तक कुल ₹0 526.44 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में ₹0 867.27 लाख का प्राविधान है। वर्तमान में 18 जनपदों में केन्द्र संचालित है। भारत सरकार द्वारा घोषित प्रदेश के 07 महत्वाकांक्षी जनपदों में नवीन बचपन डे केयर सेन्टर स्थापना की प्रक्रिया प्रचलन में है।

14. समेकित विद्यालयों की स्थापना :—

वित्तीय वर्ष 2020-21 में समेकित विद्यालयों के निर्माण हेतु कुल ₹0 3000 लाख का प्राविधान के सापेक्ष अद्यतन तक कुल ₹0 1144.87 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में ₹0 2975.00 लाख का प्राविधान है।

15 डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय (लखनऊ) :—

देश में प्रथम बार विभिन्न श्रेणी के दिव्यांग विद्यार्थियों को बाधरहित वातावरण में समेकित शिक्षा के अन्तर्गत गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान किये जाने के उद्देश्य से 'डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ की स्थापना की गयी है। वर्तमान में विशेष शिक्षा संकाय में दृष्टिबाधितार्थ, श्रवणबाधितार्थ एवं मानसिक मन्दितार्थ बी0एड0 एवं डी0एड0 विशेष शिक्षा पाठ्यक्रमों के संचालन के साथ-साथ बी0ए0,एम0ए0, बी0काम0, एम0काम0, एम0एस0डबल्यू, एम0बी0ए0 तथा विधि संकाय के अन्तर्गत बी0काम0 एल0एल0बी0 पाठ्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। विश्वविद्यालय में कुल 09 संकाय के अन्तर्गत 29 विभागों के बनने का प्राविधान है जिसमें वर्तमान में 21 विभाग क्रियाशील है। विश्वविद्यालय में प्रत्येक पाठ्यक्रम में विभिन्न श्रेणी के दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए 50 प्रतिशत सीट आरक्षित है जिसमें से पुनः 50 प्रतिशत अर्थात् 25 प्रतिशत सीटें केवल दृष्टिहीन विद्यार्थियों के लिए आरक्षित है। वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु वेतन एवं अन्य आकस्मिक मदों के अन्तर्गत ₹0 3200.00 लाख तथा पूँजीगत निर्माण हेतु ₹0 500.00 लाख के प्राविधान के सापेक्ष अद्यतन तक ₹0 2200.00 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में वेतन एवं अन्य आकस्मिक मदों के अन्तर्गत ₹0 3332.00 लाख तथा पूँजीगत निर्माण हेतु ₹0 26.73 लाख का प्राविधान है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय में विशिष्ट स्टेडियम हेतु ₹0 100.00 लाख तथा कृत्रिम अंग एवं पुनर्वासन केन्द्र की स्थापना हेतु ₹0 216.40 लाख का प्राविधान किया गया है।

16. विभिन्न श्रेणी के निराश्रित दिव्यांग व्यक्तियों हेतु भरण पोषण अनुदान (दिव्यांग पेंशन)

प्रदेश में दृष्टिबाधित, मूक बधिर, मानसिक तथा शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों, जिनका जीवनयापन के लिए स्वयं का न तो कोई साधन है और न ही वे किसी प्रकार का ऐसा परिश्रम कर सकते हैं, के भरण-पोषण हेतु दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान योजना के अन्तर्गत शासन के पत्रांक 914/65-2-2017-21-96 दिनांक 06 जून 2017 द्वारा पेंशन वृद्धि ₹0 300/- प्रति माह प्रति व्यक्ति से बढ़ाकर ₹0 500/- प्रति माह की दर से अनुदान दिया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में सामान्य पक्ष के दिव्यांगजन हेतु कुल ₹0 61200.00 लाख तथा एस0सी0पी0 पक्ष में ₹0 900.00 लाख एवं टी0एस0पी0 हेतु ₹0 2.00 लाख के प्राविधान के सापेक्ष अद्यतन क्रमशः तक ₹0 59353.68 लाख एवं एस0सी0पी0 हेतु ₹0 675 लाख एवं टी0एस0पी0 पक्ष में ₹0 1.50 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय 2021-22 वर्ष में सामान्य पक्ष के लाभार्थियों हेतु ₹0 67600.00 लाख, एस0सी0पी0 में ₹0 900.00 लाख व टी0एस0पी0 में ₹0 2.00 लाख का प्राविधान है।

17. शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण क्रय हेतु अनुदान योजना

शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को अधिकतम ₹0 10000/- तक का अनुदान कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण हेतु दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु सामान्य पक्ष के दिव्यांगजनों हेतु ₹0 3500.00 लाख व एस0सी0पी0 में ₹0 240.00 लाख का प्राविधान के सापेक्ष अद्यतन तक ₹0 1284.39 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में सामान्य पक्ष के लाभार्थियों हेतु ₹0 3500.00 लाख व एस0सी0पी0 में ₹0 240.00 लाख का प्राविधान है।

18. दिव्यांग व्यक्तियों से शादी करने पर प्रोत्साहन पुरस्कार योजना:—

इस योजना के अन्तर्गत दम्पतियों में युवती के दिव्यांग होने की दशा में ₹0 20000/- तथा युवक व युवती दोनों के दिव्यांग होने की दशा में ₹0 35,000/- तथा दम्पति में युवक के दिव्यांग होने की दशा में ₹0 15,000/- की धनराशि प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में ₹0 264.00 लाख का प्राविधान के सापेक्ष अद्यतन तक ₹0 73.55 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में ₹0 264.00 लाख का प्राविधान है।

19. दिव्यांगजन को निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को प्रतिपूर्ति :—

राज्य सरकार द्वारा इस योजना की नियमावली के अनुसार पात्र दिव्यांगजन एवं उसके सहायक को निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में उ0प्र0स0परि0नि0 को प्रतिपूर्ति हेतु कुल ₹0 3500 लाख का प्राविधान उपलब्ध था। उपर्युक्त प्राविधान के सापेक्ष उ0प्र0स0परि0नि0 को प्रतिपूर्ति हेतु अद्यतन तक रूपया 3185.71 लाख एवं रूपया लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में लम्बित अवशेष धनराशि की प्रतिपूर्ति हेतु कुल रूपया 2000.00 लाख उ0प्र0स0परि0नि0 को प्रतिपूर्ति हेतु रूपया 2000.00 लाख का प्राविधान है।

20. दक्ष दिव्यांग व्यक्तियों व उनके सेवायोजकों को राज्य स्तरीय पुरस्कार—

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणी के दिव्यांग कर्मचारियों एवं उनके सेवायोजकों को राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु ₹0 12.50 लाख का प्राविधान के सापेक्ष अद्यतन तक ₹0 6.97 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में ₹0 12.50 लाख का प्राविधान है।

21. स्वैच्छिक संगठनों/संस्थाओं को सहायता:—

दिव्यांगजन सशक्तीकरण के कार्य में लगी स्वैच्छिक संस्थाओं/संगठनों को दिव्यांगता का कारण, बचाव, उपचार, पुनर्वासन एवं दिव्यांगजन विकास विभाग की योजनाओं तथा अधिनियम के प्राविधानों का प्रचार-प्रसार करने हेतु राज्य सरकार द्वारा अनुदान स्वीकृत किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में ₹0 35.00 लाख का प्राविधान किया गया। जिसके सापेक्ष अद्यतन ₹. 20.45 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में रूपया 35.00 लाख का प्राविधान है।

22. मानसिक मंदित एवं मानसिक रूप से रूग्ण निराश्रित दिव्यांगजन के लिए आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्र संचालित करने हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता

मानसिक मंदित एवं मानसिक रूप से रूग्ण निराश्रित दिव्यांगजन के लिए आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्र संचालित करने हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता प्रदान किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल ₹0 500.00 लाख का प्राविधान वित्तीय वर्ष 2021-22 में ₹0 500.00 लाख का प्राविधान है।

23. दृष्टिबाधितार्थ अध्यापको हेतु प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना:—

राजकीय दृष्टिबाधित इन्टर कालेज, मोहान रोड, लखनऊ के परिसर में प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित कर राजकीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान, देहरादून के समन्वय से दृष्टिबाधितार्थ अध्यापन डिप्लोमा प्रदान किए जाने हेतु प्रशिक्षण केन्द्र पर आने वाले व्यय को वहन करने के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु कुल ₹0 4.00 लाख का प्राविधान के सापेक्ष अद्यतन कुल ₹0 1.84 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में ₹0 4.00 लाख का प्राविधान है।

24. ब्रेल प्रेस का संचालन :—

प्रदेश में दृष्टिबाधित छात्र/छात्राओं के पठन-पाठन हेतु ब्रेललिपि में पुस्तकों को प्रकाशित करने हेतु ब्रेल प्रेस का संचालन किया जा रहा है। यह ब्रेल प्रेस उच्च शिक्षा में अध्ययनरत दृष्टिबाधित छात्रों के छात्रावास निशातगंज, लखनऊ में स्थापित की गयी है। इस ब्रेल प्रेस में विभाग द्वारा संचालित दृष्टिबाधित विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के पठन पाठन हेतु सम्बन्धित विषयों की पुस्तकों को ब्रेल लिपि में प्रकाशित कराया जा रहा है। ब्रेल प्रेस के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में ₹0 23.06 लाख के प्राविधान के सापेक्ष अद्यतन ₹0 8.94 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में ₹0 23.16 लाख का प्राविधान है।

25. कुष्ठावस्था पेंशन योजना :—

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा दिव्यांगजन हेतु संचालित दिव्यांग भरण पोषण अनुदान योजना के अन्तर्गत कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांगजन को भी पेंशन दिये जाने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है। कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांग हुए ऐसे सभी दिव्यांगजन पात्र होंगे, जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हो तथा बी0पी0एल0 सीमा के अन्तर्गत आते हो एवं शासन द्वारा संचालित अन्य कोई पेंशन न प्राप्त कर रहे हो, को प्रदेश से सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र (चाहे दिव्यांगता का प्रतिशत कुछ भी हो) मान्य होगा को ₹0 2500/- प्रति माह की दर से अनुदान अनुमन्य होगा। इस योजना की नियमावली प्राख्यापित कर दी गयी है। वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु कुल ₹0 3517.00 लाख के वजत प्राविधान के सापेक्ष अद्यतन तक ₹. 2582.08 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में ₹0 3900.00 लाख का प्राविधान है।

26. डिसलेक्सिया व अटेंशन डैफिसिट एण्ड हाईपर एक्टिविटी सिन्ड्रोम से प्रभावित बच्चों की पहचान हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षण।

डिसलेक्सिया व अटेंशन डैफिसिट एण्ड हाईपर एक्टिविटी सिन्ड्रोम जैसी छिपी हुई दिव्यांगता से प्रभावित बच्चों की पहचान हेतु अध्यापकों को प्रशिक्षित करने, उनके अभिभावकों को इस परिपेक्ष्य में जागरूक करने एवं

समाज में जागरूकता का सृजन कर संवेदन/संवेदनशीलता उत्पन्न करने की एक नवीन एवं महत्वपूर्ण योजना विभाग द्वारा प्रारम्भ की गयी है।

उक्त योजना अन्तर्गत शिक्षकों को प्रशिक्षण दिलाये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में ₹0 20.00 लाख के बजट प्राविधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में ₹0 20.00 लाख का प्राविधान है।

27. दिव्यांगजन के लिये बाधारहित व्यवस्था हेतु सिपडा-1995 का कार्यान्वयन

प्रदेश के विभिन्न जन उपयोगी सार्वजनिक कार्यालय/भवनों को चरणबद्ध ढंग से दिव्यांगजन हेतु सुगम्य बनाने एवं वहाँ बाधारहित वातावरण सृजित कर दिव्यांगजन को आसान पहुँच हेतु सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से सिपडा योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु ₹0 500.00 लाख पूँजीगत पक्ष में तथा राजस्व पक्ष में ₹0 0.01 लाख की धनराशि का प्राविधान किया गया है।

28. सुगम्य भारत अभियान योजनान्तर्गत चिन्हित शासकीय एवं जनउपयोगी भवनों का एक्सेस आडिट तथा विभिन्न विभागों को दिव्यांगजन के हितार्थ बनाया जाना

सुगम्य भारत अभियान योजनान्तर्गत चिन्हित शासकीय एवं जनउपयोगी भवनों का एक्सेस आडिट तथा विभिन्न विभागों को दिव्यांगजन के हितार्थ बनाये जाने की दृष्टि से वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु ₹0 6000.00 लाख पूँजीगत पक्ष में तथा राजस्व पक्ष में ₹0 20.00 लाख की धनराशि का प्राविधान किया गया है।

29. शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को मोटराइज्ड ट्राई-साइकिल की योजना-

मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के प्रतिपूर्ति प्रदेश के समस्त प्रति लोकसभा क्षेत्र में 100-100 दिव्यांगजन को मोटराइज्ड ट्राई-साइकिल निःशुल्क उपलब्ध करायी जानी है। योजनान्तर्गत ₹. 3256.00 लाख का बजट का प्राविधान वर्ष 2020-21 में किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-2022 हेतु ₹. 3256.00 लाख का प्राविधान है।

30. दिव्यांगजन के लिए राज्य निधि का गठन -

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 88 में दिव्यांगजन के लिए राज्य निधि के गठन की व्यवस्था दी गयी है। तदक्रम में वित्तीय वर्ष 2020-2021 में ₹. 500.00 लाख की बजट व्यवस्था है एवं ₹. 500.00 लाख का बजट का प्राविधान वर्ष 2021-22 में किया गया है।

नवीन योजना (पूँजीगत)

जनपद वाराणसी में नवीन समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय —

जनपद वाराणसी में कक्षा-6 से 12 तक के, विभिन्न दिव्यांगताओं से ग्रसित छात्र-छात्राओं की शिक्षण व्यवस्था के लिये “समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय की स्थापना” हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में नवीन योजना (पूँजीगत) के अन्तर्गत ₹0 400.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है।

मानसिक मंदित बालक / बालिकाओं के लिये “ममता” विद्यालय की स्थापना —

जन चन्दौली में मानसिक मंदित दिव्यांग बच्चों के लिये नवीन “ममता” विद्यालय की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में नवीन योजना (पूँजीगत) के अन्तर्गत ₹0 300.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में विभाग के महत्वपूर्ण लक्ष्य

1. दिव्यांग पेंशन योजना के अन्तर्गत रू0 68502.00 लाख की प्राविधानित धनराशि से लगभग 1105000 दिव्यांगजन को पेंशन दिए जाने का लक्ष्य है।
2. कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांगजन को रू0 3900.00 लाख की प्राविधानित धनराशि से लगभग 12100 दिव्यांगजन को पेंशन दिए जाने का लक्ष्य है।
3. कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण अनुदान योजना में रू0 3740.00 लाख के प्राविधान से लगभग 62300 दिव्यांगजन को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है।
4. विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार देने हेतु रू0 264.00 लाख की धनराशि से लगभग 1131 दम्पतियों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है।
5. दुकान निर्माण/संचालन योजना के अन्तर्गत रू0 106.04 लाख की धनराशि से लगभग 1060 दिव्यांगजनो को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है।
6. प्रदेश के विभिन्न जन उपयोगी सार्वजनिक कार्यालय/भवनों को चरणबद्ध ढंग से दिव्यांगजन हेतु सुगम्य बनाने एवं वहाँ बाधारहित वातावरण सृजित कर दिव्यांगजन को आसान पहुँच हेतु सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से सिपडा योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु रू0 500.00 लाख पूजीगत पक्ष में तथा राजस्व पक्ष में रू0 0.01 लाख की धनराशि का प्राविधान किया गया है।
7. सुगम्य भारत अभियान योजनान्तर्गत चिन्हित शासकीय एवं जनउपयोगी भवनों का एक्सेस आडिट तथा विभिन्न विभागों को दिव्यांगजन के हितार्थ बनाये जाने की दृष्टि से वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु रू0 6500.00 लाख पूजीगत पक्ष में तथा राजस्व पक्ष में रू0 20.00 लाख की धनराशि का प्राविधान किया गया है।
8. मानसिक मंदित एवं मानसिक रूप से रुग्ण निराश्रित दिव्यांगजन के लिए आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्र संचालित करने हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता प्रदान किये जाने हेतु कुल रू0 500.00 लाख का प्राविधान किया गया है।
9. डिस्लेक्सिया व अटेंशन डैफिसिट एण्ड हाइपर एक्टिविटी सिन्ड्रोम से प्रभावित बच्चों की पहचान हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षण दिये जाने हेतु रू0 20.00 लाख का प्राविधान किया गया है।
10. सभी मण्डल मुख्यालयों पर समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना किये जाने के उद्देश्य से समेकित विद्यालयों की स्थापना किये जाने हेतु कुल रू0 2975.00 लाख का प्राविधानित है।
11. संकेत मूकबधिर बालक/बालिकाओं के लिये जनपद सोनभद्र, कुशीनगर में आवासीय राजकीय विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु कुल रू0 70.18 लाख का प्राविधान है।
12. स्पर्श राजकीय दृष्टिबाधित बालिका इण्टर कालेज की स्थापना हेतु रू0 670.31 लाख का प्राविधान है।
13. डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ में विशिष्ट स्टेडियम के निर्माण हेतु रू0 100.00 लाख का प्राविधान है।
14. डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ में कृत्रिम अंग एवं पुनर्वास केन्द्र की स्थापना हेतु रू0 216.40 लाख का प्राविधान है।
15. दिव्यांगजनो के लिए प्रदेश के प्रत्येक लोक सभा क्षेत्र में 100-100 दिव्यांगजनो को निःशुल्क मोटराइज्ड ट्राई साइकिल उपलब्ध कराये जाने हेतु रूपया 3256.00 लाख का प्राविधान किया गया है।

वर्ष 2021-22 में प्राविधानित धनराशि का विवरण

राजस्व पक्ष	धनराशि—(लाख ₹0) में
1 01—केन्द्र प्रायोजित योजनाये 0101—यूनीक डिसएबलिटी आईडेंटिटी कार्ड—प्रोजेक्ट— 42 अन्य व्यय (के0100प्रतिशत)	33.99
2 03—मुख्यालय / मण्डल / जिला कार्यालयों का अधिष्ठान (2235 02 101 03 00)	2854.34
3 04—विभिन्न श्रेणी के दिव्यांगों के लिए आश्रित कर्मशालाए व प्रशिक्षण केन्द्र (2235 02 101 04 00)	219.91
4 05—शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को कृत्रिम अंग / श्रवण सहायक यंत्र आदि खरीदने के लिए सहायता (2235 02 101 05 00)	3500.00
5 06—मानसिक मंदित दिव्यांगजन हेतु आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्र	151.98
6 07—नेत्रहीन, मूक, बधिर तथा शारीरिक रूप से दिव्यांगों को उनके भरण पोषण हेतु अनुदान	67600.00
7 08—दक्ष दिव्यांग कर्मचारियों एवं उनके सेवा योजकों को राज्य स्तरीय पुरस्कार	12.50
8 09—दिव्यांगों को निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान करने हेतु उ0प्र0 रा0स0प0नि0 को प्रतिपूर्ति	2000.00
9 10—दिव्यांगों को उ0प्र0 रा0 प0 नि0 की बसों में निःशुल्क यात्रा व्यय के अवशेष धनराशि की प्रतिपूर्ति	2000.00
10 11—मानसिक मंदित एवं मानसिक रूप से रुग्ण निराश्रित दिव्यांगजन के लिए आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्र संचालित करने हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता	500.00
11 12—डिस्टलेक्सिया व अटेंशन डैफिसिट एण्ड हाइपर एक्टिविटी सिन्ड्रोम से प्रभावित बच्चों की पहचान हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षण	20.00
12 13— शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के पुनर्वासन हेतु दुकान निर्माण योजना	26.51
13 14—विभिन्न श्रेणी के दिव्यांगों के लिए राजकीय विद्यालयों / छात्रावासों का संचालन	3197.42
14 15—दिव्यांगजन आयुक्त कार्यालय की स्थापना	147.97
15 16—समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों का संचालन	619.05
16 17—राजकीय दृष्टिबाधित विद्यालय मोहान रोड के अन्तर्गत दृष्टिबाधितार्थ अध्यापको हेतु प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना	4.00
17 18—'सिपडा' योजनान्तर्गत सार्वजनिक / विभागीय भवनों में दिव्यांगजन हेतु बाधारहित वातावरण तथा विभागीय वेब साइटों को दिव्यांगजन के हितार्थ बनाया जाना	0.01

18	19—“सुगम्य भारत अभियान” योजनान्तर्गत चिन्हित शासकीय एवं जन उपयोगी भवनों का एक्सेस ऑडिट तथा विभिन्न विभागों की वेबसाइटों को दिव्यांगजन के हितार्थ बनाया जाना	20.00
19	20—शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को मोटोइज्ड ट्राई—साइकिल	3256.00
20	21—पालनहार योजना	2500.00
21	22—लखनऊ में ‘ब्रेल प्रेस’ की स्थापना (2235 02 101 22 00)	23.16
22	23—उ०प्र० जगतगुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय, चित्रकूट	200.00
23	24—कृत्रिम अंग एवं पुनर्वास केन्द्र का संचालन	400.00
24	25—कौशल विकास केन्द्र की स्थापना (2235 02 101 25 00)	30.96
25	26—अमरावती पुरुषोत्तम बहुउद्देशीय दिव्यांगजन विकास संस्थान, वाराणसी (2235 02 101 26 00)	49.11
26	27—मानसिक मन्दित बच्चों / दिव्यांगजन हेतु मनोविकास केन्द्र	33.31
27	30—डा० शकुन्तला मिश्रा, उ०प्र० दिव्यांग विश्वविद्यालय लखनऊ	3332.00
28	31—बचपन, नर्सरी स्कूलों की स्थापना	867.27
29	32—कुष्ठावस्था दिव्यांग भरण—पोषण अनुदान	3900.00
30	34—विशेष विद्यालयों में दिव्यांग विद्यार्थियों को गुणवत्तापरक विशेष शिक्षा	85.00
31	35—दिव्यांगजन के लिए राज्य निधि का गठन (2235 02 101 35 00)	500.00
32	37—दिव्यांगता पर गठित सलाहकार बोर्ड की बैठक से सम्बन्धित व्यय हेतु	2.35
33	38—जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र (डी०डी०आर०सी०) की स्थापना / संचालन	400.00
34	107—03—विभिन्न श्रेणी के दिव्यांगों के कल्याण हेतु स्वैच्छिक संगठनों एवं संस्थाओं को सहायता	35.00
35	800—03—शारीरिक रूप से सक्षम व्यक्तियों द्वारा दिव्यांग से शादी करने पर प्रोत्साहन	264.00
36	800—04—असहाय दिव्यांग व्यक्तियों को बीमारी के इलाज हेतु अनुदान	640.00
योग राजस्व पक्ष		99425.84

वर्ष 2021-22 में पूजीगत पक्ष में प्राविधानित धनराशि का विवरण

धनराशि—(लाख ₹0) में

1	0101—दिव्यांगजन के लिए बाधारहित व्यवस्था हेतु "सिपडा - 1995" का कार्यान्वयन (के.100 / रा.0—के.) 24—वृहद निर्माण कार्य	500.00
2	04—"सुगम्य भारत अभियान" योजनान्तर्गत सरकारी कार्यालयों एवं जन उपयोगी भवनों को चिन्हित कर बाधा रहित बनाया जाना (के.100 / रा.0—के.) 24—वृहद निर्माण कार्य	6000.00
3	05—समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना 24—वृहद निर्माण कार्य 26—मशीनों एवं सज्जा / उपकरण और संयंत्र	2600.00 375.00
	योग(05)	2975.00
4	06—संकेत राजकीय मूक, बधिर विद्यालय, गोरखपुर में छात्रावास भवन तथा आवासीय भवनों का निर्माण 24—वृहद निर्माण कार्य 26—मशीनों एवं सज्जा / उपकरण और संयंत्र	0.00 40.00
	योग(06)	40.00
5	07—संकेत राजकीय श्रवणबाधित बालिका इन्टर कालेज, गोरखपुर 24—वृहद निर्माण कार्य 26—मशीनों एवं सज्जा / उपकरण और संयंत्र	00.00 53.00
	योग(07)	53.00
6	08—शासकीय एवं जनउपयोगी भवनों में दिव्यांगजन हेतु बाधारहित वातावरण का सृजन 24—वृहद निर्माण कार्य	500.00
7	09—राजकीय मानसिक मंदित आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्रों का भवन निर्माण 24—वृहद निर्माण कार्य	1000.00
8	11—स्पर्श राजकीय दृष्टिबाधित बालिका इन्टर कालेज की स्थापना 24—वृहद निर्माण कार्य 26—मशीनों एवं सज्जा / उपकरण और संयंत्र	170.31 25.00
	योग(11)	195.31
9	14—स्पर्श राजकीय दृष्टिबाधित बालक / बालिका विद्यालय 24—वृहद निर्माण कार्य	300.00
10	15—मानसिक मंदित बालक / बालिकाओं के लिए "ममता" विद्यालय 24—वृहद निर्माण कार्य	1300.00
11	16—संकेत राजकीय मूक बधिर कालेज, गोरखपुर 24—वृहद निर्माण कार्य	56.69
12	19—डॉ० शकुन्तला मिश्रा उ०प्र० दिव्यांग विश्वविद्यालय, लखनऊ 24—वृहद निर्माण कार्य	26.73
13	23—डॉ० शकुन्तला मिश्रा उ०प्र० दिव्यांग विश्वविद्यालय, लखनऊ 2301—विशिष्ट स्टेडियम का निर्माण 24—वृहद निर्माण कार्य 26—मशीनों एवं सज्जा / उपकरण और संयंत्र	00.00 100.00
	योग(2301)	100.00

14	23—डॉ० शकुन्तला मिश्रा उ०प्र० दिव्यांग विश्वविद्यालय, लखनऊ 2302 कृत्रिम अंग एवं पुनर्वास केन्द्र की स्थापना 24—वृहद निर्माण कार्य 26—मशीनों एवं सज्जा / उपकरण और संयंत्र	16.40 200.00
योग(2302)		216.40
15	25—स्पर्श राजकीय बालक इण्टर कालेज, गोरखपुर 24—वृहद निर्माण कार्य	200.00
16	26—प्रयास शारीरिक रूप से अक्षम बालकों का राजकीय विद्यालय 24—वृहद निर्माण कार्य	250.00
17	28—जनपद सोनभद्र में संकेत मूक, बधिर बालको के लिए राजकीय इण्टर कालेज 24—वृहद निर्माण कार्य 26—मशीनों एवं सज्जा / उपकरण और संयंत्र	50.00 25.00
योग(28)		75.00
18	29—जनपद कुशीनगर में संकेत मूक, बधिर बालिकाओं के लिए राजकीय इण्टर कालेज 24—वृहद निर्माण कार्य 26—मशीनों एवं सज्जा / उपकरण और संयंत्र	20.18 25.00
योग(29)		45.18
19	32—ममता मानसिक मंदित बालिका विद्यालय, लखनऊ 24—वृहद निर्माण कार्य	173.98
20	33—मूक बधिर छात्र / छात्राओं हेतु संकेत जूनियर हाई स्कूल की स्थापना निर्माण कार्य 24—वृहद निर्माण कार्य	400.00
योग 4235		14407.29

1	03—शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के पुर्नवास दुकान निर्माण 30—निवेश / ऋण	79.53
योग 6235		79.53

अनुदान संख्या 81

(टी०एस०पी०)

धनराशि—(लाख रू०) में

1	05—नेत्रहीन, मूक, बधिर तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को उनके भरण पोषण हेतु अनुदान 20—सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन)	2.00
योग 81		2.00

अनुदान संख्या 83

(एस०सी०पी०)

1	03—नेत्रहीन, मूक, बधिर तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को उनके भरण—पोषण हेतु अनुदान (जिला योजना) 20—सहायता अनुदान सामान्य (गैर—वेतन)	900.00
2	08—शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को कृत्रिम अंग / श्रवण सहायक यंत्र क्रय हेतु सहायता 20—सहायता अनुदान सामान्य (गैर—वेतन)	240.00
योग 83		1140.00
कुल योग		115054.66

तालिका-क
वित्तीय आवश्यकताओं कार्यक्रमों तथा कार्यकलापों का वर्गीकरण

अनुदान संख्या 79

धनराशि लाख रु० में

क्रम संख्या	मद	वास्तविक व्यय 2019-20	आय व्ययक अनुमान 2020-21	पुनरीक्षित अनुमान 2020-21	आय व्ययक अनुमान 2021-22
1	2	3	4	5	6
1	01-केन्द्र पुरोनिधानित योजनाये0 0101-यूनीक डिसएबिलिटी आईडेंटिटी कार्ड प्रोजेक्ट (2235 02 101 0101 00)	79.93	33.99	33.99	33.99
2	03-मुख्यालय/मण्डल/जिला कार्यालयों का अधिष्ठान (2235 02 101 03 00)	2257.63	2698.40	2698.40	2854.34
3	04-विभिन्न श्रेणी के विकलांगों के लिए आश्रित कर्मशालाए व प्रशिक्षण केन्द्र (2235 02 101 04 00)	127.42	211.03	206.03	219.91
4	05-शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को कृत्रिम अंग/श्रवण सहायक यंत्र आदि खरीदने के लिए सहायता (2235 02 101 05 00)	1650.24	3500.00	3500.00	3500.00
5	06-मानसिक मंदित विकलांगजन हेतु आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्र	134.15	146.80	146.80	151.98
6	07-नेत्रहीन, मूक, बधिर तथा शारीरिक रूप से दिव्यांगों को उनके भरण पोषण हेतु अनुदान	61916.93	61200.00	61200.00	67600.00
7	08-दक्ष विकलांग कर्मचारियों एवं उनके सेवा योजकों को राज्य स्तरीय पुरस्कार	12.40	12.50	12.50	12.50
8	09-विकलांगों को निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान करने हेतु उ0प्र0 रा0स0प0नि0 को प्रतिपूर्ति	1500.00	1500.00	1005.65	2000.00
9	10-विकलांगों को उ0प्र0 रा0 प0 नि0 की बसों में निःशुल्क यात्रा व्यय के अवशेष धनराशि की प्रतिपूर्ति	2000.00	2000.00	2494.35	2000.00
10	11-मानसिक मंदित एवं मानसिक रूप से रुग्ण निराश्रित विकलांगजन के लिए आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्र संचालित करने हेतु सैद्धिक संस्थाओं को सहायता	241.15	500.00	500.00	500.00
11	12-डिस्लेक्सिया व अटेंशन डैफिसिट एण्ड हाइपर एक्टिविटी सिन्ड्रोम से प्रभावित बच्चों की पहचान हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षण	19.45	20.00	20.00	20.00
12	13- शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के पुनर्वासन हेतु दुकान निर्माण योजना	26.37	26.51	26.51	26.51
13	14-विभिन्न श्रेणी के दिव्यांगों के लिए राजकीय विद्यालयों/छात्रावासों का संचालन	2550.04	3056.38	3044.49	3197.42
14	15-विकलांगजन आयुक्त कार्यालय की स्थापना	140.39	143.67	143.67	147.97
15	16-समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों का संचालन	0.00	785.10	268.10	619.05
15	17-राजकीय दृष्टिबाधित विद्यालय मोहान रोड के अन्तर्गत दृष्टिबाधितार्थ अध्यापकों हेतु प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना	4.00	4.00	4.00	4.00
16	18- 'सिपडा' योजनान्तर्गत सार्वजनिक/विभागीय भवनों में दिव्यांगजन हेतु बाधारहित वातावरण तथा विभागीय वेब साइटों को दिव्यांगजन के हितार्थ बनाया जाना	0.00	0.01	0.01	0.01
17	19-"सुगम्य भारत अभियान" योजनान्तर्गत चिन्हित शासकीय एवं जन उपयोगी भवनों का एक्सेस ऑडिट तथा विभिन्न विभागों की वेबसाइटों को दिव्यांगजन के हितार्थ बनाया जाना	67.56	50.00	50.00	20.00
18	20-शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को मोट्राइज्ड ट्राई-साइकिल	0.00	3256.00	3256.00	3256.00
19	21-पालनहार योजना (2235 02 101 21 00)	0.00	2500.00	2500.00	2500.00
20	22-लखनऊ में 'ब्रेल प्रेस' की स्थापना (2235 02 101 22 00)	125.01	23.06	23.06	23.16
21	23-उ0प्र0 जगतगुरु राममद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय, चित्रकूट (2235 02 101 23 00)	0.00	200.00	200.00	200.00
22	24-कृत्रिम अंग एवं पुनर्वास केन्द्र का संचालन (2235 02 101 24 00)	0.00	400.00	400.00	400.00
23	25-कौशल विकास केन्द्र की स्थापना (2235 02 101 25 00)	26.52	23.01	34.90	30.96
24	26-अमरावती पुरुषोत्तम बहुउद्देशीय विकलांग विकास संस्थान, वाराणसी (2235 02 101 26 00)	21.87	49.11	54.11	49.11
25	27-मानसिक मन्दित बच्चों/विकलांगजन हेतु मनोविकास केन्द्र	33.09	30.31	30.31	33.31
26	30-डा0 शकुन्तला मिश्रा, उ0प्र0 विकलांग विश्वविद्यालय लखनऊ	2238.76	3200.00	3200.00	3332.00
27	31-बच्चन, नर्सरी स्कूलों की स्थापना	831.42	867.27	867.27	867.27
28	32-कुष्ठावस्था विकलांग भरण-पोषण अनुदान	3143.95	3000.00	3517.00	3900.00
29	33-मानसिक रूप से चुनौतीग्रस्त बालिकाओं के लिए राजकीय विद्यालय "ममता" (2235 02 101 33 00)	10.60	100.60	100.60	0.00
30	34-विशेष विद्यालयों में विकलांग विद्यार्थियों को गुणवत्तापरक विशेष शिक्षा	59.63	85.00	85.00	85.00
31	35-दिव्यांगजन के लिए राज्य निधि का गठन (2235 02 101 35 00)	500.00	500.00	500.00	500.00

क्रम संख्या	मद	वास्तविक व्यय 2019-20	आय व्ययक अनुमान 2020-21	पुनरीक्षित अनुमान 2020-21	आय व्ययक अनुमान 2021-22
1	2	3	4	5	6
32	36-बचपन डे-कैयर सेन्टर्स 42-अन्य व्यय	270.62	0.00	0.00	0.00
33	37- दिव्यांगता पर गठित सलाहकार बोर्ड की बैठक से सम्बन्धित व्यय हेतु (2235 02 101 37 00)	0.70	2.35	2.35	2.35
34	38- जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र की स्थापना/संचालन (2235 02 101 37 00)	0.00	400.00	400.00	400.00
35	107-03-विभिन्न श्रेणी के दिव्यांगों के कल्याण हेतु स्वेच्छिक संगठनों एवं संस्थाओं को सहायता	32.69	35.00	35.00	35.00
36	800-03-शारीरिक रूप से सक्षम व्यक्तियों द्वारा विकलांग से शादी करने पर प्रोत्साहन	164.00	264.00	264.00	264.00
37	800-04-असहाय विकलांग व्यक्तियों को बीमारी के इलाज हेतु अनुदान	454.03	640.00	640.00	640.00
	योग 2235	80640.55	91464.10	91464.10	99425.84

क्रम संख्या	मद	वास्तविक व्यय 2019-20	आय व्यय अनुमान 2020-21	पुनरीक्षित अनुमान 2020-21	आय व्यय अनुमान 2021-22
1	2	3	4	5	6
4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय					
1	0101-विकलांगजन के लिए बाधारहित व्यवस्था हेतु "सिपडा- 1995" का कार्यान्वयन (के.100/रा.0-के.) 24-वृहद निर्माण कार्य	0.00	500.00	500.00	500.00
2	03-राजकीय कौशल विकास केंद्र, आगरा का भवन निर्माण	0.00	0.00	0.00	0.00
3	04-"सुगम्य भारत अभियान" योजनान्तर्गत सरकारी कार्यालयों एवं जन उपयोगी भवनों को चिन्हित कर बाधा रहित बनाया जाना (के.100/रा. 0-के.) 24-वृहद निर्माण कार्य	1706.26	6000.00	6000.00	6000.00
4	05-समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना 24-वृहद निर्माण कार्य	2200.00	2200.00	2200.00	2600.00
5	26-मशीनों एवं सज्जा/उपकरण और संयंत्र	0.00	800.00	800.00	375.00
	योग(05)	2200.00	3000.00	3000.00	2975.00
6	06-संकेत राजकीय मूक, बधिर विद्यालय, गोरखपुर में छात्रावास भवन तथा आवासीय भवनों का निर्माण 24-वृहद निर्माण कार्य	94.48	0.00	0.00	0.00
7	26-मशीनों एवं सज्जा/उपकरण और संयंत्र	0.00	40.00	40.00	40.00
	योग(06)	94.48	40.00	40.00	40.00
8	07-संकेत राजकीय श्रवणबाधित बालिका इन्टर कालेज, गोरखपुर 24-वृहद निर्माण कार्य	83.18	10.00	10.00	0.00
9	26-मशीनों एवं सज्जा/उपकरण और संयंत्र	0.00	72.00	72.00	53.00
	योग(07)	83.18	82.00	82.00	53.00
10	08-शासकीय एवं जनउपयोगी भवनों में दिव्यांजन हेतु बाधारहित वातावरण का सृजन 24-वृहद निर्माण कार्य	500.00	500.00	500.00	500.00
11	09-राजकीय मानसिक मंदित आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केंद्रों का भवन निर्माण 24-वृहद निर्माण कार्य	1800.00	1800.00	1800.00	1000.00
12	10-प्रयास राजकीय शारीरिक रूप से अक्षम बालकों का विद्यालय, लखनऊ 26-मशीनों एवं सज्जा/उपकरण और संयंत्र	17.28	0.00	0.00	0.00
	योग(10)	17.28	0.00	0.00	0.00
13	11-स्पर्श राजकीय दृष्टिबाधित बालिका इन्टर कालेज की स्थापना 24-वृहद निर्माण कार्य	0.00	10.00	10.00	170.31
14	26-मशीनों एवं सज्जा/उपकरण और संयंत्र	0.00	100.00	100.00	25.00
	योग(11)	0.00	110.00	110.00	195.31
15	12-संकेत मूक बधिर जूनियर हाईस्कूल, मोहान रोड, लखनऊ का इन्टरमीडिएट स्तर तक उच्चीकरण कार्य	0.00	0.00	0.00	0.00
16	26-मशीनों एवं सज्जा/उपकरण और संयंत्र	27.15	0.00	0.00	0.00
	योग(12)	27.15	0.00	0.00	0.00
17	13-स्पर्श राजकीय दृष्टिबाधित बालक इन्टर कालेज 24-वृहद निर्माण कार्य	143.69	10.00	10.00	0.00
18	14-स्पर्श राजकीय दृष्टिबाधित बालक/बालिका विद्यालय 24-वृहद निर्माण कार्य	298.43	360.00	360.00	300.00
19	15-मानसिक मंदित बालक/बालिकाओं के लिए "ममता" विद्यालय 24-वृहद निर्माण कार्य	1000.00	1000.00	1000.00	1300.00
20	16-संकेत राजकीय मूक बधिर कालेज, गोरखपुर 24-वृहद निर्माण कार्य	217.72	200.00	200.00	56.69
21	19-डॉ० शकुन्तला मिश्रा उ०प्र० विकलांग विश्वविद्यालय, लखनऊ 24-वृहद निर्माण कार्य	49.00	500.00	500.00	26.73
22	20-मुख्यालय/मण्डल/जिला कार्यालयों का अधिष्ठान 24-वृहद निर्माण कार्य	13.94	0.00	0.00	0.00
23	23-डॉ० शकुन्तला मिश्रा उ०प्र० विकलांग विश्वविद्यालय, लखनऊ 2301-विशिष्ट स्टेडियम का निर्माण	659.39	900.00	900.00	0.00
	26-मशीनों एवं सज्जा/उपकरण और संयंत्र	0.00	0.00	0.00	100.00
24	23-डॉ० शकुन्तला मिश्रा उ०प्र० विकलांग विश्वविद्यालय, लखनऊ 2302 कृत्रिम अंग एवं पुनर्वास केंद्र की स्थापना	740.00	263.00	263.00	16.40
	26-मशीनों एवं सज्जा/उपकरण और संयंत्र		200.00	200.00	200.00
	योग(23)	1399.39	1363.00	1363.00	316.40

क्रम संख्या	मद	वास्तविक व्यय 2019-20	आय व्ययक अनुमान 2020-21	पुनरीक्षित अनुमान 2020-21	आय व्ययक अनुमान 2021-22
1	2	3	4	5	6
25	25-स्पर्श राजकीय बालक इण्टर कालेज, गोरखपुर 24-वृहद निर्माण कार्य	250.00	200.00	200.00	200.00
26	26-प्रयास शारीरिक रूप से अक्षम बालकों का राजकीय विद्यालय 24-वृहद निर्माण कार्य	250.00	250.00	250.00	250.00
27	28-जनपद सोनभद्र में संकेत मूक, बधिर बालकों के लिए राजकीय इण्टर कालेज 24-वृहद निर्माण कार्य	0.00	50.00	50.00	50.00
28	26-मशीनों एवं सज्जा/उपकरण और संयंत्र	0.00	25.00	25.00	25.00
	योग(28)	0.00	75.00	75.00	75.00
29	29-जनपद कुशीनगर में संकेत मूक, बधिर बालिकाओं के लिए राजकीय इण्टर कालेज 24-वृहद निर्माण कार्य	80.96	35.00	35.00	20.18
30	26-मशीनों एवं सज्जा/उपकरण और संयंत्र	0.00	25.00	25.00	25.00
	योग(29)	80.96	60.00	60.00	45.18
31	32-ममता मानसिक बालिका विद्यालय, लखनउ 24-वृहद निर्माण कार्य	400.00	400.00	400.00	173.98
32	33-मूक बधिर छात्र छात्राओं हेतु संकेत जूनियर हाई स्कूल की स्थापना 24-वृहद निर्माण कार्य	0.00	400.00	400.00	400.00
	योग 4235	10531.48	16850.00	16850.00	14407.29
1	6235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के लिए कर्ज 02-समाज कल्याण 101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण 03-शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के पुर्नवास दुकान निर्माण 30-निवेश/ऋण	79.53	79.53	79.53	79.53
	योग 6235	79.53	79.53	79.53	79.53
अनुदान संख्या 81 लेखाशीर्षक 2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 02-समाज कल्याण 796 जनजातिय क्षेत्र उप योजना (2235-02-796-03-20)					
क्रम संख्या	मद	वास्तविक व्यय 2019-20	आय व्ययक अनुमान 2020-21	पुनरीक्षित अनुमान 2020-21	आय व्ययक अनुमान 2021-22
1	2	3	4	5	6
1	05-नेत्रहीन, मूक, बधिर तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को उनके भरण पोषण हेतु अनुदान 20-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन)	2.00	2.00	2.00	2.00
	योग 81	2.00	2.00	2.00	2.00
अनुदान संख्या 83					
क्रम संख्या	मद	वास्तविक व्यय 2019-20	आय व्ययक अनुमान 2020-21	पुनरीक्षित अनुमान 2020-21	आय व्ययक अनुमान 2021-22
1	2	3	4	5	6
1	03-नेत्रहीन, मूक, बधिर तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को उनके भरण-पोषण हेतु अनुदान (जिला योजना) 20-सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन)	899.99	900.00	900.00	900.00
2	08-शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को कृत्रिम अंग/श्रवण सहायक यंत्र कय हेतु सहायता 20-सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन)	226.19	240.00	240.00	240.00
	योग 83	1126.18	1140.00	1140.00	1140.00

तालिका-ख
उद्देश्यवार वर्गीकरण

अनुदान संख्या 79 **धनराशि लाख रु० में**

क्र०सं०	मद का नाम	वास्तविक व्यय 2019-20	आय व्ययक अनुमान 2020-21	पुनरीक्षित अनुमान 2020-21	आय व्ययक अनुमान 2021-22
1	2	3	4	5	6
1	01-वेतन	2627.18	3520.15	3277.26	3629.76
2	02-मजदूरी	101.56	77.71	77.71	79.71
3	03-मंहगाई भत्ता	412.99	892.54	817.54	1088.93
4	04-यात्रा भत्ता	13.98	18.31	18.31	18.31
5	05-स्थानान्तरण यात्रा भत्ता	7.42	8.60	8.60	8.60
6	06-अन्य भत्ता	6.34	46.55	46.55	46.55
7	07-मानदेय	57.82	49.68	61.57	35.68
8	08-कार्यालय व्यय	64.40	76.20	76.20	76.20
9	09-विद्युत देय	146.31	233.98	233.98	236.77
10	10-जलकर/जलप्रभार	0.51	6.29	6.29	6.29
11	11-लेखन सामग्री एवं फार्मों की छपाई	39.54	43.90	43.90	43.90
12	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	80.11	101.50	101.50	101.50
13	13-टेलीफोन पर व्यय	13.64	20.95	20.95	20.95
14	14-कार्यालय प्रयोगार्थ गाड़ियों का	0.00	0.00	0.00	0.00
15	15-मोटर गाड़ियों का अनुस्क्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद	170.05	209.00	209.00	224.00
16	16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवओं के लिए भुगतान	4.35	12.95	12.95	12.95
17	17-किराया उपशुल्क एवं कर स्वामित्व	24.35	13.76	13.76	25.76
18	18-प्रकाशन	4.35	5.95	5.95	5.95
19	19-विज्ञापन बिक्री और विज्ञापन व्यय	0.00	1.00	1.00	1.00
20	20-सहायता अनुदान (गैर वेतन)	71192.00	79995.00	80512.00	87795.00
21	21-छात्रवृत्ति और छात्रवेतन	199.65	358.00	225.00	205.00
22	22-आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता	1.41	1.80	1.80	1.80
23	24-बृहद निर्माण कार्य	10487.06	15488.00	15488.00	13564.29
24	26-मशीन साज सज्जा एवं उपकरण	119.97	1377.00	1377.00	858.00
25	29-अनुस्क्षण	228.79	254.50	219.50	219.50
26	30-निवेश/ऋण	79.53	79.53	79.53	79.53
27	31-सहायता अनुदान-सामान्य वेतन	1750.00	2200.00	2200.00	2332.00
28	39-आषधि रसायन	7.68	8.62	8.62	8.62
29	41-भोजन व्यय	63.22	84.50	84.50	84.50
30	42-अन्य व्यय	1912.10	2075.78	2075.78	1945.18
31	43-सामग्री सम्पूर्ति	36.84	55.80	55.80	55.75
32	44-प्रशिक्षण व्यय	0.04	3.55	3.55	3.55
33	45-अवकाश यात्रा भत्ता	0.41	4.15	4.15	4.15
34	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर	101.74	79.35	79.35	79.35
35	47-कम्प्यूटर अनुस्क्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	34.36	38.35	38.35	38.35
36	49-चिकित्सा व्यय	25.05	27.10	27.10	38.10
37	51-वर्दी व्यय	0.00	0.90	0.90	0.90
38	52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	184.78	0.00	0.00	0.00
39	53-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राज्य सहायता)	399.76	98.00	98.00	0.00
40	55-मकान किराया भत्ता	148.86	158.63	158.63	256.63
41	56-नगर प्रतिकर भत्ता	22.56	51.40	51.40	0.00
42	58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	480.85	614.65	571.65	679.65
योग		91251.55	108393.63	108393.63	113912.66

अनुदान संख्या-81

(घनराशि लाख रू० में)

क्र०सं०	मद का नाम	वास्तविक व्यय 2019-20	आय व्ययक अनुमान 2020-21	पुनरीक्षित अनुमान 2020-21	आय व्ययक अनुमान 2021-22
1	2	3	4	5	6
	20-सहायता अनुदान (गैर वेतन)	2.00	2.00	2.00	2.00

अनुदान संख्या-83

(घनराशि लाख रू० में)

क्र०सं०	मद का नाम	वास्तविक व्यय 2019-20	आय व्ययक अनुमान 2020-21	पुनरीक्षित अनुमान 2020-21	आय व्ययक अनुमान 2021-22
1	2	3	4	5	6
	20-सहायता अनुदान (गैर वेतन)	1126.19	1140.00	1140.00	1140.00

तालिका-ग वित्तीय संसाधनों के स्रोत

धनराशि लाख रु० में

क्रम संख्या	मद	मुख्य लेखा शीर्षक	वास्तविक व्यय 2019-20	आय व्ययक अनुमान 2020-21	पुनरीक्षित अनुमान 2020-21	आय व्ययक अनुमान 2021-22
1	2	3	4	5	6	7
1	79	2235	80640.55	91464.10	91464.10	99425.84
2	79	4235	10531.48	16850.00	16850.00	14407.29
3	79	6235	79.53	79.53	79.53	79.53
4	83	2235	1126.18	1140.00	1140.00	1140.00
5	81	2235	2.00	2.00	2.00	2.00
	कुल योग		92379.74	109535.63	109535.63	115054.66

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ०प्र० में स्वीकृत/कार्यरत पदों का विवरण

क्र०स०	पदनाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद
1	2	3	4	5
1	निदेशक	1	1	0
2	मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी	1	1	0
3	संयुक्त निदेशक (03 विभागीय 01 पी०सी०एस० संवर्ग)	4	3	1
4	वित्त एवं लेखाधिकारी	1	1	0
5	उपनिदेशक	20	14	6
6	प्रधानाचार्य, स्पर्श इण्टर कॉलेज	6	5	1
7	प्रधानाचार्य समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय	4	0	4
8	जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी	75	43	32
9	प्रधानाचार्य, स्पर्श हाई स्कूल	1	0	1
10	प्रधानाचार्य, प्रयास हाई स्कूल	2	2	0
11	प्रधानाचार्य, संकेत हाई स्कूल	2	0	2
12	प्रधानाचार्य, जूनियर हाई स्कूल	3	3	0
13	मनोवैज्ञानिक	2	0	2
14	अधीक्षक	19	0	19
15	प्रबन्धक ब्रेल प्रेस	1	0	1
16	सहायक लेखाधिकारी	2	2	0
17	लेखाकार	64	10	54
18	सहायक लेखाकार	23	15	8
19	प्रवक्ता, दृष्टिबाधित राजकीय इण्टर कॉलेज	48	37	11
20	प्रवक्ता, समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय	36	0	36
21	वैयक्तिक सहायक ग्रेड-1	4	2	2
22	प्रशासनिक अधिकारी	1	0	1
23	सहायक सांख्यिकीय अधिकारी	1	0	1
24	अपर सांख्यिकीय अधिकारी	1	0	1
25	व्यवसायिक चिकित्सा विज्ञानी	2	0	2
26	वैयक्तिक सहायक ग्रेड-2	9	4	5

27	प्रधान सहायक	2	0	2
28	वरिष्ठ सहायक	109	79	30
29	आशुलिपिक ग्रेड-4	12	0	12
30	कनिष्ठ सहायक	132	78	54
31	पुस्तकालयाध्यक्ष (विभागीय विद्यालयों एवं समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों हेतु)	11	0	11
32	नर्स, कम्पाउण्डर हॉस्टल वार्डन	20	3	17
33	विभागीय विद्यालयों के प्रशिक्षित स्नातक (एल0टी0ग्रेड)	57	33	24
34	अध्यापक, एल0टी0ग्रेड, मूक बधिर विद्यालय	26	18	8
35	अध्यापक, एल0टी0ग्रेड, प्रयास विद्यालय	4	3	1
36	अध्यापक, एल0टी0ग्रेड, ममता विद्यालय	4	3	1
37	समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों के प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक (एल0टी0ग्रेड)	40	0	40
38	समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों के विशेष अध्यापक	16	0	16
39	विभागीय विद्यालयों के प्रशिक्षित अण्डर ग्रेजुएट (जे0टी0सी0 ग्रेड/ जे0टी0सी0 संगीत) अध्यापक	51	43	8
40	विभागीय विद्यालयों के प्रशिक्षित अण्डर ग्रेजुएट (जे0टी0सी0) अध्यापक (संकेत विद्यालय हेतु)	15	0	15
41	शारीरिक रूप से अक्षम राजकीय विद्यालयों के प्रशिक्षित अण्डर ग्रेजुएट (एच0टी0सी0)	4	0	4
42	मोबिलिटी अध्यापक	7	0	7
43	प्रशिक्षक (कम्प्यूटर प्रशिक्षक एवं मोबिलिटी प्रशिक्षक) (समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों हेतु)	8	0	8
44	व्यायाम शिक्षक	10	1	9
45	छात्रावास अधीक्षक (विभागीय विद्यालयों हेतु)	8	1	7
46	कर्मशाला पर्यवेक्षक ग्रेड-2	1	1	0
47	प्रशिक्षक ग्रेड-2	1	1	0
48	प्रशिक्षक ग्रेड-3	4	4	0
49	सेल्समैन	1	1	0

50	प्रोजेक्टर ऑपरेटर	1	0	1
51	कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए, ब्रेल प्रेस	1	0	1
52	प्रूफ रीडर, ब्रेल प्रेस	1	0	1
53	स्टोर कीपर, ब्रेल प्रेस	1	0	1
54	वाहन चालक, (विशेष श्रेणी, ग्रेड-4, ग्रेड-3, ग्रेड-2)	14	8	6
55	प्रयोगशाला सहायक (ममता-01 एवं समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों हेतु-12)	13	1	12
56	फिजियोथेरेपिस्ट (ममता विद्यालयों हेतु)	2	0	2
57	स्पीच थेरेपिस्ट (संकेत मूक बधिर विद्यालयों हेतु)	5	0	5
58	स्पीच थेरेपिस्ट (ममता विद्यालयों हेतु)	2	0	2
59	सांकेतिक भाषा इन्टरप्रेटर (साइन लैंग्वेज) (समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों-16 एवं संकेत विद्यालयों हेतु-10)	26	0	26
60	कम्प्यूटर प्रशिक्षक (स्पर्श विद्यालयों हेतु)	7	0	7
61	कम्प्यूटर प्रशिक्षक (संकेत विद्यालयों हेतु)	5	0	5
62	कम्प्यूटर प्रशिक्षक (अस्थिबाधित विद्यालयों हेतु)	2	0	2
63	छात्रावास अधीक्षक (महिला /पुरुष) (समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों हेतु)	8	0	8
64	शीघ्र पहचान इकाई प्रशिक्षक (समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों हेतु)	12	0	12
65	व्यावसायिक प्रशिक्षण इकाई प्रशिक्षक (समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों हेतु)	8	0	8
66	ब्रेल मुद्रण तकनीशियन (समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों हेतु)	4	0	4
67	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	226	55	171
योग		1214	476	738

डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ

विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकवृन्द/अधिकारीगण/ कर्मचारीगण का विवरण

माह जनवरी, 2021 तक

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	भरे पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या	नियुक्ति का प्रकार			अन्य विवरण
					प्रतिनियुक्ति	नियमित	संविदा	
1	कुलपति	01	01	00	00	01	00	
2	वित्त अधिकारी	01	00	01	00	00	00	अतिरिक्त प्रभार
3	कुलसचिव	01	01	00	00	01	00	
4	परीक्षा नियंत्रक	01	01	00	01	00	00	
5	प्रोफेसर	33	10	23	00	10	00	
6	रीडर/एसोसिएट प्रोफेसर	64	22	42	00	22	00	
7	असिस्टेंट प्रोफेसर	139	47	92	00	47	00	
8	विशेष शिक्षक	06	04	02	00	04	00	
9	उप कुलसचिव	01	01	00	00	01	00	
10	सहायक कुलसचिव	02	02	00	00	02	00	
11	सिस्टम एनालिस्ट	01	01	00	00	01	00	
12	प्रोग्रामर ग्रेड-1	02	00	02	00	00	00	
13	प्रोग्रामर ग्रेड-2	01	00	01	00	00	00	
14	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	02	02	00	02	00	00	
15	प्रशासनिक अधिकारी	05	04	01	04	00	00	
16	व्यवस्थाधिकारी	01	00	01	00	00	00	
17	जन सम्पर्क अधिकारी	02	00	02	00	00	00	
18	प्लेसमेंट अधिकारी	01	00	01	00	00	00	
19	सम्परीक्षा अधिकारी	01	00	01	00	00	00	
20	विधि अधिकारी	01	01	00	00	01	00	
21	क्रीड़ा अधिकारी	01	00	01	00	00	00	
22	सहायक विधि अधिकारी	02	02	00	00	02	00	
23	जन सम्पर्क सहायक सह स्वागती	02	00	02	00	00	00	
24	क्रीड़ा सहायक	01	00	01	00	00	00	
25	प्रधान सहायक	09	00	09	00	00	00	
26	वरिष्ठ सहायक	54	22	32	00	22	00	
27	सम्परीक्षक	04	00	04	00	00	00	
28	सहायक लेखाकार	12	04	08	00	04	00	वर्तमान में लेखाकार
29	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	02	00	02	00	00	00	
30	व्यैक्तिक सहायक ग्रेड -1	02	00	02	00	00	00	
31	व्यैक्तिक सहायक ग्रेड -2	09	06	03	00	00	00	
32	आशुलिपिक	11	00	11	00	06	00	
33	सहायक स्टोर कीपर	02	00	02	00	00	00	
34	आर्ट एवं क्राफ्ट इन्स्ट्रक्टर	04	00	04	00	00	00	
35	संगतकर्ता	02	00	02	00	00	00	
36	मोबिलिटी ट्रेनर	01	01	00	00	01	00	
37	मनोवैज्ञानिक	02	01	01	00	01	00	
38	स्पीचथेरेपिस्ट	01	01	00	00	01	00	
39	विधि सहायक	04	00	04	00	00	00	
40	कनिष्ठ सहायक	113	05	108	00	05	00	
41	कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-2	02	00	02	00	00	00	
42	प्रयोगशाला सहायक	11	00	11	00	00	00	
43	डिमान्सट्रेटर	11	00	11	00	00	00	
44	चिकित्सालय अधीक्षक	01	01	00	01	00	00	
45	नेत्र चिकित्सक	01	00	01	00	00	00	
46	मनोचिकित्सक	01	00	01	00	00	00	

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	भरे पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या	नियुक्ति का प्रकार			अन्य विवरण
					प्रतिनियुक्ति	नियमित	संविदा	
47	अस्थि रोग विशेषज्ञ	01	00	01	00	00	00	
48	कान-नाक-गला विशेषज्ञ	01	00	01	00	00	00	
49	फिजियोथेरेपिस्ट	02	01	01	00	01	00	
50	फार्मासिस्ट	01	00	01	00	00	00	
51	ओ.टी.टेक्नीशियन	02	00	02	00	00	00	
52	अपर वित्त अधिकारी	02	00	02	00	00	00	
53	पुस्तकालयाध्यक्ष	01	00	01	00	00	00	
54	सूचीकार	01	00	01	00	00	00	
55	सहायक अभियन्ता (सिविल)	01	00	01	00	00	00	
56	अवर अभियन्ता सिविल/विद्युत	02	00	02	00	00	00	
57	तकनीकी सहायक विद्युत/सिविल	02	00	02	00	00	00	
58	वाचक	02	00	02	00	00	00	
59	वाहन चालक	04	04	00	00	04	00	
60	चतुर्थ श्रेणी	20	20	00	00	20	00	
61	वार्ड ब्वाय	01	01	00	00	01	00	
62	अटेंडेंट	01	01	00	00	01	00	
63	इन्स्ट्रक्टर इन सर्जिकल सूज एण्ड लेदर वर्क	01	00	01	00	00	00	
64	स्पीच पैथोलोजिस्ट/ आडियोलॉजिस्ट ग्रेड-1	01	00	01	00	00	00	
65	स्पीच पैथोलोजिस्ट/ आडियोलॉजिस्ट ग्रेड-2	01	00	01	00	00	00	
66	ईयर मोल्ड टेक्नियन	01	00	01	00	00	00	
67	हियरिंग एण्ड टेक्नियन	01	00	01	00	00	00	
68	वर्कशाप मैनेजर	01	00	01	00	00	00	
69	असिस्टेंट वर्कशाप मैनेजर	01	00	01	00	00	00	
70	इलेक्ट्रिक इंजीनियर आर0डी सेक्शन)	01	00	01	00	00	00	
71	सीनियर प्रोथेटिस्ट	01	00	01	00	00	00	
72	सीनियर आर्थोटिस्ट	01	00	01	00	00	00	
73	प्रार्थोटिस्ट	01	00	01	00	00	00	
74	आर्थोटिस्ट	01	00	01	00	00	00	
75	रिहैबिलिटेशन आफिसर	01	00	01	00	00	00	
76	सीनियर प्रोथेटिस्ट टेक्नीशियन	01	00	01	00	00	00	
77	सीनियर आर्थोटिस्ट टेक्नीशियन	01	00	01	00	00	00	
78	सीनियर लेदर टेक्नियन	01	00	01	00	00	00	
79	जूनियर प्रार्थेटिस्ट टेक्नियन	01	00	01	00	00	00	
80	जूनियर आर्थोटिस्ट टेक्नियन	01	00	01	00	00	00	
81	जूनियर लेदर टेक्नियन	01	00	01	00	00	00	
82	शू-मेकर	01	00	01	00	00	00	
83	काब्लर	01	00	01	00	00	00	
84	काउंसलर	02	00	02	00	00	00	
	Total	598	167	431	08	159	00	0

राज्य आयुक्त दिव्यांगजन, उ०प्र० में स्वीकृत/कार्यरत पदों का विवरण

क्रम संख्या	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
1	राज्य आयुक्त	01	01	00	
2	उपायुक्त (चिकित्सा संवर्ग)	01	01	00	अतिरिक्त प्रभार
3	उपायुक्त, (संविदा के आधार पर)	04	01	03	संविदा पर
3	विधि अधिकारी	01	01	—	
4	सहा० विधि अधिकारी	01	—	01	
5	वैयक्तिक सहायक	01	—	01	
6	वरि० सहायक	02	02	00	
7	वैयक्तिक सहायक ग्रेड—2	02	01	01	
8	आशुलिपिक	03	02	01	
9	कनि० सहायक	05	04	01	
10	ब्रेललिपि रीडर	01	—	01	
11	वाहन चालक	01	01	—	—
12	चपरासी	05	05	00	
	सफाई कर्मचारी	01	01	—	आउट सोर्सिंग
योग		29	20	09	

प्रशासनिक व्यवस्था एवं विभागीय संगठन का चार्ट



